




लखनऊ विकास प्राधिकरण

को बैठक दिनांक 29.3.85

को

कार्य - सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 29 मार्च, 1985 में विचारणीय
विषयों की कार्य-सूची ।

x=x=x=x=x=x=x

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-1-85 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2-	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-11-84 एवं 23-1-85 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	7
3-	वीस सत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।	15
4-	लखानऊ विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं व्यवसायिक भावनों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में	16
5-	विकास प्राधिकरण के लिये तीन ट्रिपर ट्रक एवं 2 टैकरो की आपूर्ति	26
6-	श्री अम्मर रिजवी को अलीगंज योजना में रोड पटरी की भूमि गार्डेन-लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।	27
7-	इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट ऐण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट को लखानऊ में कोचिंग हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	29
8-	कास्टिंग एवं इकोनामिक प्लानिंग विभाग हेतु स्टाफ की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।	32
9-	अनुभाग अधि०॥प्राधान लिपिक॥वैयक्तिक - सहायक/निजी सचिवों की प्रोन्नति अनुसचिव पद पर किये जाने के सम्बन्ध में ।	35
10-	लखानऊ-हरदोई रोड की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।	36
11-	लिवरटी सिनेमा के निकट व्यवसायिक योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।	37
12-	तलसी सिनेमा के पास महारानी लक्ष्मी वाई मार्ग पर व्यवसायिक योजना हेतु भूमि का अर्जन ।	38
13-	स्टेशन रोड पर आवासीय एवं व्यवसायिक योजना हेतु भूमि का अर्जन ।	39
14-	सीतापुर रोड योजना पश्चिम भाग-2 हेतु भूमि का अर्जन ।	40
15-	मोहल्ला सआदतगंज में नरवाड़ी आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन ।	41
16-	टिकैतराय तालाब सौन्दर्यीकरण एवं आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।	42
17-	मोहल्ला घासियारी मण्डी, कैन्ट रोड पर आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन ।	43
18-	कानपुर रोड योजना भाग-4 में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	44
19-	अर्जन विभाग हेतु तीन लिपिकों एवं चार पेरकारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	45

- 20- गोमती नगर योजना में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने के संबंध में। 46
- 21- श्री सैय्यद मोदी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को गोमती नगर योजना में रिहायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में। 48
- 22- वित्तीय वर्ष 1985-86 का मूल बजट 51
- 23- गोमती नगर आवास योजना में भूमि की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में। 52
- (24) अध्यापक महासभा की अनुमति से अगस्त विद्यम
=====

विषय संख्या- 1

पृष्ठ संख्या: 1४४

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 23-1-1985 में लिये गये निर्णयों
का पुष्टिकरण ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 23-1-1985

का कार्यवृत्त, पुष्टिकरण हेतु

संलग्न है ।

=====

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-1-1985
 x
 का कार्यवृत्त
 xxxxxxxxxx

उपस्थित:

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1- | श्री राम कृष्ण | आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखानऊ विकास
प्राधिकरण, लखानऊ । |
| 2- | श्री बाबू राम | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास
प्राधिकरण । |
| 3- | श्री आर०एन०त्रिवेदी | जिलाधिकारी, लखानऊ । |
| 4- | श्री प्रेम नारायण | संयुक्त सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन, लखानऊ । |
| 5- | श्री बी०एन०सिंह | संयुक्त सचिव, आवास एवं
नगर विकास, उत्तर प्रदेश
शासन, लखानऊ । |
| 6- | श्री एन०एस०जौहरी | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखानऊ । |
| 7- | श्री डी०पी०सिंहवाल | अतिरिक्त मुख्य अध्यायन्ता,
उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखानऊ । |
| 8- | डा० वी०एन०खान्ना | सदस्य, विधान परिषद एवं
सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण |
| 9- | श्री राजबीर सिंह | सचिव, लखानऊ विकास
प्राधिकरण । |

x=x=x=x=x=x

विषय संख्या: 1

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
15-11-84 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय :

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
15-11-84 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित
संशोधनों के साथ की गई :

§1§

विषय संख्या: 15 में प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "ए"
जोन नम्बर- 2 बटलर पैलेस क्षेत्र के ड्राफ्ट जोनल-
प्लान में गोखाले मार्ग 100 फिट सड़क के दोनों
ओर कार्यालय उपयोग के लिये, जिसका अर्ध केवल
आफिसेज़ के उपयोग न कि बाजार अथावा दुकाने
हैं, 300 फिट छोड़ते हुए जनता से तुझाव एवं
आपत्तियाँ आमन्त्रित की जाये ।

§2§

विषय संख्या: 53 के निर्णय में "मापस लिया गया"
अंकित किया जाये ।

§3§ विषय संख्या: 54 के निर्णय में " 5 जीपों को क़य करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया " अर्कित किया जाये ।

§4§ विशेष प्रस्ताव, जो मुख्य अभियन्ता श्री हरि नारायण दुबे की सेवाओं के सम्बन्ध में था, में यह अर्कित किया जाये कि इनसे सम्बन्धित समस्त विधायक § उच्च न्यायालय के आदेश § तथा प्रशासनिक तथ्यों की पूर्ण स्थिति ज्ञात करके विस्तृत टिप्पणी प्राधिकरण के समक्ष रखा कर निर्णय प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक विशेष प्रस्ताव पर कोई भी कार्यवाही न की जाये ।

विषय संख्या: 2

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-11-84 की अनुपालन आख्या ।

निर्णय :

अनुपालन आख्या प्राप्त करके प्राधिकरण के अवगतार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या: 3

बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति आख्या

निर्णय :

अवलोकन किया गया ।

विषय संख्या: 4

लखनऊ नगर में ग्राउन्ड सेल के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अभिकल्पन के अनुसूच प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा निर्मित किये जा रहे व्यवसायिक केन्द्रों के विषय में नीति का निर्धारण ।

निर्णय :

विषय आगामी बैठक हेतु स्थागित किया गया ।

विषय संख्या: 5

कानपुर रोड योजना में भूमि की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

आगामी बैठक में रखाने हेतु विषय स्थागित किया गया ।

विषय संख्या: 6

श्री अम्मर रिजवी को अलीगंज योजना में प्लॉट संख्या: वी-66, सेक्टर "वी" के सामने की रोड पटरी की भूमि को गार्डेन लीज़ पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

आगामी बैठक हेतु विषय स्थागित किया गया ।

- विषय संख्या: 7 गोमती नगर योजना में भूमि की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में ।
निर्णय : आगामी बैठक में रखाने हेतु विषय स्थागित किया गया ।
- विषय संख्या: 8 सीतापुर रोड योजना की भूमि की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय : आगामी बैठक हेतु विषय स्थागित किया गया ।
- विषय संख्या: 9 लखानऊ विकास प्राधिकरण के आवासीय तथा व्यवसायिक भावनों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विषय आगामी बैठक हेतु स्थागित किया गया ।
- विषय संख्या: 10 डा० सुनील कुमार राय के एच०आई०जी०-33/एल भावन के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विकास-प्राधिकरण की समस्याओं से शानसन को अवगत कराते हुए विषय पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।
- विषय संख्या: 11 पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में निर्धारित शर्तें जो आवन्तन करते समय धीरे, को ध्यान में रखाते हुए टिप्पणी अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाये । इसके बाद विषय प्राधिकरण में पुनः प्रस्तुत किया जाये ।
- विषय संख्या: 12 श्री कैलाश स्वल्प श्रोत्रिय के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूखण्ड के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विधिक राय लेकर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
- विषय संख्या: 13 कामशिशिल कॉम्प्लेक्स कपूरथाला वागु के सम्बन्ध में ।
निर्णय : प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- विषय संख्या: 14 श्रीमती वाके रायसा को "ए" श्रेणी भावन हेतु गोमती नगर योजना में जमा धानराशि विना कटौती के वापस करने के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव कम्पैशनेट ग्राउन्ड पर स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 15 श्रीमती अमोक्त कुमारी सिंह को अलीगंज योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या: सी-53, सेक्टर एच, आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव कम्प्यूशनट ग्राउन्ड पर स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 16 केन्द्रीय कर्मचारियों को भावन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 17 सभादतगंज रोड पर कूड़ाघार के पश्चिम में दस्तम नगर आवासीय योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकार किया जाता है कि योजना का नाम सभादतगंज आवासीय योजना रखा जाये ।

विषय संख्या: 18 गामन शुल्क की दरों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि माडेल वार्ड लाज को दृष्टिगत रखाते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः रखा जाये ।

विषय संख्या: 19 अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना भाग-2 के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 20 अनु-सचिव के पद पर प्रधान लिपिक/अनुभाग-अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव को वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : आगामी बैठक में रखाने हेतु प्रस्ताव स्थागित किया गया ।

अ नु प र क वि ष य

विषय संख्या: 1 श्रीमती सत्यवती कपूर को नैपियर रोड में आवंटित भूखण्ड के प्रीमियम का निर्धारण ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इसका परीक्षा करके सचिव एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे जिस पर अन्तिम निर्णय अध्यक्ष महोदय के स्तर पर लिया जायेगा ।

अनुपूरक
विज्ञाप संख्या: 2

निर्णय :

अनुपूरक
विज्ञाप संख्या: 3

निर्णय :

अनुपूरक
विज्ञाप संख्या: 4

निर्णय :

अनुपूरक
विज्ञाप संख्या: 5

निर्णय :

अनुपूरक
विज्ञाप संख्या: 6

निर्णय :

अनुपूरक
विज्ञाप संख्या: 7

निर्णय :

निराला नगर तथा तिलक नगर की कालोनियों में बने "सी" टाइप के क्वार्टरों को उनमें रहने वाले लोगों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु भूमि एवं भावन का मूल्यांकन शासनादेश के अनुसार कर लिया जाये ।

जिलाधिकारी निवास, लखनऊ, के परिसर में ऐतिहासिक चारादरी की मरम्मत इत्यादि के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत आख्या अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जायेगी जिस पर निर्णय लेने के लिये वे तक्षम होंगे ।

अशोक मार्ग तथा राणा प्रताप मार्ग चौराहे पर स्थित वलरामपुर हाउस की योजना हेतु भूमि अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा, विशेष भूमि अध्यापित - अधिकारी एवं उप सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को रु० 250/00 प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विज्ञाप शासन को सन्दर्भित किया जाये ।

हरदोई रोड, कानपुर रोड तथा सीतापुर रोड योजनाओं में भूमि की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में विस्तृत विवरण के साथ प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय ।

प्राधिकरण की प्रस्तावित बहुछाण्डी भावनों की डिज़ाइन कराने के सम्बन्ध में पैनल का गठन ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकार किया गया :

- 1- पैनल का गठन केवल एक वर्ष के लिये होगा,
- 2- जो भी योजना आर्किटेक्चर को दी जायेगी वह प्राधिकरण की स्वीकृति के बाद ही दी जायेगी ।

अनुपूरक
विषय संख्या: 8

श्री जयन्ती प्रसाद दुवे, अवकाश प्राप्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, को प्राधिकरण में सलाहकार की हैसियत से नियुक्त करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु अवधि वर्तमान में एक वर्ष के लिये निर्धारित की गई ।

विशेष प्रस्ताव
=====

वैठक में विस्तृत रूप से विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित विशेष प्रस्ताव पारित किये गये :-

- § 1 § भाविष्य में कार्य-सूची समस्त सदस्यों को बैठक की निर्धारित तिथि से 7 दिन पूर्व प्रेषित की जाये ।
- § 2 § बैठक के 15 दिन के अन्दर समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त भेजा जाना चाहिये ।
- § 3 § आगामी होने वाली बैठक में छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट रक्खी जाये ।
- § 4 § प्राधिकरण के समक्ष विकास प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम तथा अन्य विकास कार्य का विवरण पित्त विभाग से निर्गत शासनादेश के अनुसार होगा ।
- § 5 § यह भी निर्णय लिया गया कि सदस्य डा0वी0रन0-खान्ना द्वारा दिये गये दिनांक 14-6-84 के सुझावों को प्रस्ताव के रूप में इस बैठक के कार्यवृत्त का अंग बना लिया जाये ।

ह0/ वावू राम
§ वावू राम §
उपाध्यक्ष


अ नु मो दि त

ह0/ राम कृष्ण

§ राम कृष्ण §

आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं अध्यक्ष,
लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित


§ राजवीर सिंह §
सचिव

विषय सं०: 2

पृष्ठ सं०: 7

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 1984 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

- विषय सं०: 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14.6.84 के कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधन कर लिया गया है।
- विषय सं०: 2 अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 3 बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रगति आख्या के अवलोकन के उपरान्त जो निर्देश दिये गये थे उन्हीं के अनुरूप आख्या अब प्रस्तुत की जाया करेगी।
- विषय सं०: 4 प्रस्ताव वापस ले लिया गया कोई अनुपालन नहीं होना है।
- विषय सं०: -5 प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।
- विषय सं०: 6 आगामी बैठक 23.1.85 में पुनः प्रस्तुत किया गया।
- विषय सं०: 7 ल०वि०प्रा० की विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकरण की धनराशि पर ब्याज दिये जाने का निर्णय लिया गया था। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 8 प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।
- विषय सं०: 9 गोमती नगर में कृषकों को उनकी फसल का सुआवड़ा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 10 प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।
- विषय सं०: 11 प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। प्रार्थी को सूचना भेज दी गई है।
- विषय सं०: 12 आगामी बैठक 23.1.85 में पुनः रखा गया।
- विषय सं०: 13 प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।
- विषय सं०: 14 प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट डी ज़ोन - 8, कानपुर रोड योजना के ड्राफ्ट ज़ोचल प्लान पर जनता से आपत्तियाँ आमंत्रित की जा रही हैं।

क्रमशः.....

- विषय सं०: 15 प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट ए जोन नं० - 2, वटलर पैलेस के ड्राफ्ट जोनल प्लान पर दिये गये निर्देशों के अनुसार जनता से आपत्तियाँ आंत्रित की जा रही हैं।
- विषय सं०: 16 वाह्य विकास शुल्क के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही प्रगति पर है।
- विषय सं०: 17 हुसैनाबाद रोड पर रूमी दरवाजे के निकट भूखण्ड पर पार्क के निर्माण के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
- विषय सं०: 18 वड़े इमामवाड़े में फ्लड लाइट की व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
- विषय सं०: 19 विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृति के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 20 श्री राम कृष्ण वैश्य को नेपियर रोड कालोनी में भवन सं०-3 आवंटित किया गया है। इस विषय में श्री वैश्य से अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 21 आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया गया।
- विषय सं०: 22 श्रीमती कुन्ती विहारी के भूखण्ड का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। भवन चित्र स्वीकृत कर पक्ष को उपलब्ध करा दिया गया है।
- विषय सं०: 23 प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
- विषय सं०: 24 प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।
- विषय सं०: 25 लखनऊ विकास प्राधिकरण में विद्युत, निर्माण तथा विकास संबंधी आगणनों के संस्थापन हेतु श्री मजूमदार की नियुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है। इस विषय में नियुक्ति की शर्तों आदि पर विचार किया जा रहा है। श्री एच. ही आदेश दे दिये जायेंगे।
- विषय सं०: 26 प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।
- विषय सं०: 27 ल०वि०प्रा० के कर्मचारियों को भवन/भूखण्ड आवंटन के विषय में नीति निर्धारण हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया था जिसे शासन ने निरस्त कर दिया है।

- विषयसं० : 28 केन्द्रीय विद्यालय को गोमती नगर योजना में भूमि आवंटित कर दी गई है। शासन से धनराशि भी प्राप्त हो गई है। कृष्णा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 29 मोती नगर योजना के विषय में निर्णयानुसार अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०:30 ल०वि०प्रा० के नियन्त्रण में आने वाले लखनऊ इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा दिये गये पट्टों वाली भूमि के विषय में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही प्रगति पर है।
- विषय सं०: 31 गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में उच्च आय वर्गीय भवनों की योजना हडको द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अनुबन्ध किया जा चुका है। निविदायें स्वीकृति होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
- विषय सं०: 32 टेलीफोन आपरेटर्स की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 33 प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया गया।
- विषय सं०: 34 प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया गया।
- विषय सं०: 35 महायोजना में आवासीय भूखण्डों पर प्रस्तावित एफ०ए०आर० के स्थान पर भवन के तलों की संख्या निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 36 प्रस्ताव वापस ले लिया गया।
- विषय सं०: 37 श्री श्री 108 खोपड़िया बाबा को गोमती नगर योजना में भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेज दिया गया है परन्तु अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।
- विषय सं०: 38 प्रस्ताव वापस ले लिया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
- विषय सं०: 39 प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।
- विषय सं०: 40 टिकैतराय तालाव के सौन्दर्यीकरण हेतु निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी है। मुख्य नगर नियोजक द्वारा भू-विन्यास मानचित्र बना दिया गया है। कार्यवाही प्रगति पर है।
- विषय सं०: 41 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर "जी" में 102 एच०आई०जी० भवनों के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

- विषय सं०: 42 प्रस्ताव वापस ले लिया गया।
- विषय सं०: 43 कानपुर रोड योजना के सेक्टर जी में 148 एक मंजिले एम0आई0जी0 भवनों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 44 प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया गया है।
- विषय सं०: 45 लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों की सम्परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण हेतु दो सम्परीक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर ले लिया गया है।
- विषय सं०: 46 समुन्नत प्रभार के संदाय की रीति/नीति निर्धारण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 47 प्रस्ताव वापस ले लिया गया।
- विषय सं०: 48 लखनऊ विकास प्राधिकरण संचालन नियमावली, 1983 ग्रहण किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 49 श्रीमती सत्यवती कपूर के भूखण्ड के विषय में प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था परन्तु माननीय सदस्य डा० खन्ना के अनुरोध पर पुनः 23.1.85 की बैठक में इसपर विचार हुआ।
- विषय सं०: 50 इन्सटीट्यूट आफ प्लानरस इन्डिया को संस्थान भवन हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। धराराशि प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।
- विषय सं० : 51 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन प्राधिकरण में अवकाश प्राप्त जिला जज की नियुक्ति के विषय में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
- विषय सं०: 52 गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में उच्च आय वर्गीय 120 भवन एवं मध्यम आय वर्गीय श्रेणी - 2 के 150 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है परन्तु ले-आउट बदल जाने के कारण कुछ विलम्ब हो सकता है।
- विषय सं०: 53 मार्गों के निर्माण हेतु एक और हाट-मिक्स प्लान्ट क्रय के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही प्रगति पर है।

- विषय सं०: 54 जीपों के क्रय के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार दो जीपें क्रय की जा चुकी हैं। एक जीप क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 55 गो० नगर योजना में निर्मित किये जाने वाले 251 एल०आई०जी० भवनों के निर्माण हेतु हडको से ₹ 37 लाख ऋण लेने हेतु शासन से गारन्टी दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 56 गो०न०यो० में निर्मित किये जाने वाले 83 एल०आई०जी० भवनों के निर्माण हेतु हडको से ₹ 49.80 लाख ऋण लेने हेतु हडको से अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है।
- अनु०वि०सं०:1 प्राधिकरण द्वारा दो अतिरिक्त अभियन्त्रण खण्डों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार स टाफ़ की व्यवस्था की जा रही है।
- अनु०वि०सं०:2 टिकैतराय तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है।
- अनु० वि०सं०:3 6000 भवनों के वित्त पोषण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 5000 भवनों की योजना हडको द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, शासन से गारन्टी प्राप्त करने हेतु काउन्टर गारन्टी 30 प्र० शासन को प्रेषित कर दी गई है।
- अनु०वि०सं०:4 छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र के सम्बन्ध में दिये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- अनु०वि०सं०: 5 25 सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय-संसाधन प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही इनके निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- अनु०वि०सं०: 6 आगामी बैठक में प्रस्तुत क किया गया है।
- अनु०वि०सं०: 7 बटलर पैलेस क्षेत्र में 240 बहुखण्डीय भवनों हेतु निविदायें स्वीकृत हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- अनु० वि०सं०:8 श्री डी० आर०अहूजा के भूखण्ड संख्या - 337 बी के सम्बन्ध में निर्णयानुसार पक्ष को मवन-मानचित्र स्वीकृत कर उपलब्ध करा दिया गया है।
- विशेष प्रस्ताव: श्री एच०एन०दुबे की सेवाओं के संबंध में प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
23 जनवरी, 1985 की अनुपालन आख्या

- विषय सं०: 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.11.85 के कार्यवृत्त की पुष्टि के समय दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही में संशोधन कर लिया गया है।
- विषय सं०: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.11.84 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा रही है।
- विषय सं०: 3 बीस-सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति पर विशेष बल दिया जा जा रहा है।
- विषय सं०: 4 विषय आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
- विषय सं०: 5 आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
- विषय सं०: 6
- विषय सं०: 7 आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
- विषय सं०: 8
- विषय सं०: 9
- विषय सं०: 10 डा० सुनील कुमार राय के एच०आई०जी०-33 /एल० भवन के संबंध में निर्णयानुसार शासन को पत्र भेजा दिया गया है।
- विषय सं०: 11 पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संबंध में निर्णयानुसार अध्यक्ष महोदय को टिप्पणी प्रेषित की जा रही है।
- विषय सं०: 12 श्री कैलाश स्वरूप श्रोत्रिय के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। विधिके राय श्री उमेश चन्द्र, ऐडवोकेट से प्राप्त की जा रही है।
- विषय सं०: 13 कॉमर्सिअल कॉम्प्लेक्स कपुरथला बाग के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 14 श्रीमती वाके रामया को विना कटौती के धनराशि वापिस किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- विषय सं०: 15 श्रीमती अशोक कुमारी सिंह को निर्णयानुसार आर्कटन पत्र जारी कर दिया गया है।

- विषय सं०: 16 केन्द्रीय कर्मचारियों को भवन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में 42.00 करोड़ की योजना हडको को प्रेषित की जा चुकी है। आगामी वज्रट में 10.00 करोड़ की योजना प्रस्तुत कर दी गई है। अन्य कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
- विषय सं०: 17 सआदतगंज आवासीय योजना के संबंध में भूमि अध्याप्त की विज्ञापित्या शासन से जारी करने हेतु वि० भू० अ० अधिकारी को दिनांक 16.2.85 को पत्र भेज दिया गया है।
- विषय सं०: 18 आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
- विषय सं०: 19 अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना भाग - 2 के संबंध में विज्ञापित्या जारी करने हेतु वि० भू० अधिकारी को पत्र 16.2.85 को भेज दिया गया है।
- विषय सं०: 20 आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
- अनु०पू०सं० : 1 श्रीमती सत्यवती कपूर को नैपियर रोड में आवंटित भूखण्ड के प्रीमियम निर्धारण के संबंध में टिप्पणी सचिव के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को भेजी जा रही है।
- अनु०पू०वि०सं०: 2 निराला नगर, तिलक नगर कालोनी में बने सी० टाइप के क्वार्टरों की कास्टिंग निकालने की कार्यवाही की जा रही है। कास्टिंग फाइनल होते ही भवन आवंटन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।
- अनु० वि०सं०: 3 जिलाधिकारी, लखनऊ के परिसर में ऐतिहासिक वारादरी की मरम्मत के संबंध में आख्या अध्यक्ष महोदय को प्रेषित की जा रही है।
- अनु०वि०सं०: 4 अशोक मार्ग तथा राणा प्रताप मार्ग चौराहे पर स्थित बलरामपुर हाउस की योजना का अर्जन न किये जाने के संबंध में अधि० अभि० १ भवन १ को सूचना भेज दी गई है।
- अनु०वि०सं०: 5 डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा, वि० भू० अध्याप्त अधि के विषय में लिखे गये निर्णय के अनुसार शासन को पत्र भेज दिया गया है।

- अनुवि०सं०: 6 आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
- अनुवि०सं०: 7 वहखण्डी भवनों की डिज़ाइन हेतु पैन्ल के गठन के सम्बन्ध में निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
- अनुवि०सं०: 8 श्री जयन्ती प्रसाद दुवे, अवकाश प्राप्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को प्राधिकरण में -- सलाहकार की हैसियत से नियुक्त कर लिया गया है।
- विशेष प्रस्ताव: बैठक में दिये गये निर्देशों को नोट कर लिया गया है। भविष्य में इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

=====

क्रमांक	खाण्ड	साइट एवं सर्वेक्षण			ई0डब्लू0एस0 भावन			वि व र ण
		लक्ष्य	प्राप्त	प्रगति	लक्ष्य	प्राप्त	प्रगति	
1-	अभियाण्ड-1 हाता रस्तल खाण्ड, विराभ- खाण्ड गोमती नगर				540	8	244	लक्ष्य 5,500 कुल योग 4,125
2-	अभियाण्ड-3 कानार रोड योजना डी, एच एच जी सेक्टर में				1000	200	800	निर्माणाधीन 3155 प्रतिशत उपलब्धता 75%
3-	अभियाण्ड-4 सीतापुर रोड				1000	700	300	
4-	अभियन्त्रण खाण्ड-5 सीतापुर रोड				500	200	270	
5-	अभियन्त्रण खाण्ड-6 आजाद नगर, राधाग्राम, राम नगर आदि	30	422		660	350	90	
6-	अभियाण्ड-8 विनय खाण्ड				2123	1806	317	
7-	अभियाण्ड-9 कानपुर रोड सेक्टर डी				1000	336	634	
8-	अभियाण्ड-10, विशाल खाण्ड गोमती नगर				968	463	500	
9-	अभियाण्ड-11, कानपुर रोड				32	32	x	
	योग:	30	422		4025	3155		

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के किराये में वृद्धि के संबंध में।

=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में लगभग 3500 विभिन्न श्रेणी के आवासीय भवन हैं। इन भवनों का निर्धारित सामान्य किराया ₹023.60 प्रतिमाह से लेकर ₹0 120/- प्रतिमाह है। इसी प्रकार विभिन्न व्यवसायिक स्थलों पर कुछ दुकानें भी बनाई गई हैं जिनका किराया उनकी निर्माण के लागत इत्यादि के हिसाब से निर्धारित किया गया था। इन दुकानों तथा आवासीय भवनों से किराये के रूप में कुल वार्षिक किराया ₹0 15,62,000/- होता है। निर्धारित नियमों के अनुसार मरम्मत पर दो महीने के किराये के बराबर की धनराशि व्यय की जा सकती है। इस प्रकार लगभग ₹0 2,60,000/- प्रति वर्ष मरम्मत के मद् में व्यय होता है। अधिष्ठान का व्यय लगभग ₹0 3,00,000 /- प्रतिवर्ष है।

₹0 15,62,000/- में से गृह कर और जल कर § 25/ § भी शामिल है। यह धनराशि किराये के रूप में आवंटियों से वसूल की जाती है। तथा महापालिका एवं जल संस्थान को भुगतान की जाती है। जल-कर तथा गृह-कर के रूप में लगभग 4.00 लाख रूपया प्रतिवर्ष भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार इन कालोनियों के संबंध में लगभग ₹0 9.60 लाख विभिन्न मदों में भुगतान करना पड़ता है। यदि किराये की शत-प्रतिशत वसूली हो जाये तब लगभग 6.2 लाख रूपया विकास प्राधिकरण के कोष में बचता है जिसमें से उन ऋणों की अदायगी भी करनी होती है जिन्हें प्राप्त कर कालोनियों का निर्माण किया गया था। अनाधिकृत कब्जे आदि के संबंध में तैकड़ों मुकदमों भी चलते रहते हैं जिनपर भी व्यय होता है। इस प्रकार इन कालोनियों से विकास प्राधिकरण को होने वाली आय नगण्य है और परिणाम यह है कि इन कालोनियों का रख-रखाव करना सम्भव नहीं हो पाता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख-कर उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या - 5366/ 11-न0पा0-4-1 ए §48/77/ दिनांक 1-9-77 द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि इस प्रकार के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के नये आवंटन वर्तमान किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि करके किये जायेंगे और हर पाँच साल बाद किराये में 12-1/2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। जहाँ तक नये आवंटन का प्रश्न है प्रत्येक नया आवंटन उक्त आदेशों के अनुसार किराये में 50 प्रतिशतवृद्धि करके किया जाता है। लेकिन शासन के आदेशों के अनुसार अभी तक किराये में 12-1/2 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की गई है। शासन के आदेश सितम्बर, 1977 के हैं और सितम्बर, 1982 में किराये में 12-1/2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जानी चाहिये थी।

कमशा:....

प्रस्ताव :

=====

चूंकि किराये की वृद्धि 1982 के अन्तिम महीने में हो जानी चाहिये थी इसलिये यह प्रस्ताव है कि आवासीय तथा व्यावसायिक भवनों के किराये में 12-1/2 प्रतिशत की वृद्धि 1 जनवरी, 1983 से की जाय। इससे विकास-प्राधिकरण को प्रतिवर्ष किराये की वृद्धि के रूप में लगभग ₹ 1,95,000/- की अतिरिक्त आय होगी। इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए आवंटियों से कराये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों में तदनुसार परिवर्तन अंकित कर दिया गया है। प्रस्तावित अनुबन्ध की एक प्रति संलग्न है। शासन के चिन आदेशों में किराये की वृद्धोत्तरी के निर्देश प्राप्त हुए थे उसकी भी एक प्रति संलग्न है। अतः उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

प्रेषण,

राम बहादुर सुक्सेना,
आयुक्त एवं सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा में,

पुशासक,
नगर महापालिका,
लखनऊ/कानपुर/आगरा/वाराणसी/इलाहाबाद।

नगर पालिका अनुभाग - 4

लखनऊ दिनांक : सितम्बर 1, 1977

विषय:- नगर महापालिकाओं के भवनों के आवंटन के संबंध में।
=====

महोदय,

नगर महापालिकाओं द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से, नजूल फण्ड से विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों आदि से ऋण लेकर बनाये गये सभी प्रकार के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के आवंटन उनके किराये आदि से सम्बन्धित समस्याओं की ओर काफी समय से शासन का ध्यान आर्कषित था। प्रदेश के सभी नगरों में भवनों के निर्माण तथा उनके किराये में विगत वर्षों से अप्रत्यक्षित वृद्धि हुई है, जबकि महापालिका भवनों के वर्तमान किराये की दर वही है जो लगभग 20-25 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। महापालिकाओं को इस समय जो किराया अपने आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों से प्राप्त हो रहा है वह बहुत ही अलाभकर है और इस सीमित धन से भवनों का संतोषजनक ढंग से रख-रखाव करना कठिन है। भवनों के रख-रखाव एवं उनके निर्माण पर बढ़ती हुई लागत को देखते हुए शासन ने पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि तात्कालिक प्रभाव से अब महापालिका के जो भी आवासीय एवं व्यवसायिक भवन आवंटित किये जायेंगे उनमें निम्न तरीके से किराये एवं अन्य शर्तें तम्पाहित कराई जायें:-

§ 1 § महापालिका के आवासीय एवं व्यवसायिक भवन अधिकतम

क्रमांक:.....

15 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किए जायें। अवधि के विषय में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है, फिर भी शासन के अन्तिम निर्णय तक फिलहाल जो भी आवंटन किए जायें उनकी अवधि किसी भी दशा में 15 वर्ष से अधिक न हो।

§2§ महापालिका के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के नये आवंटन उनके वर्तमान किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि करके की जाय और हर 5 वर्ष बाद किराये में 12-1/2 प्रतिशत की वृद्धोत्तरी की जाय। उदाहरण के तौर पर यदि महापालिका के किसी भवन का वर्तमान किराया 100/- रुपया प्रति माह है और उसे , अब नये आवंटनी के नाम आवंटित किया जाना है तो उक्त भवन का किराया 150/- रुपया प्रतिमाह निर्धारित किया जायेगा।

5 वर्ष पश्चात् किराये में 12-1/2 प्रतिशत की वृद्धि करके उक्त भवन का किराया $150 \text{ ₹} * 18.75 \text{ ₹} = 168.75 \text{ रुपया}$ होगा।
पुनः 5 वर्ष पश्चात् उक्त भवन का मासिक किराया $168.85 \text{ ₹} 21.10 \text{ ₹} = 188.85 \text{ ₹}$ होगा।

§3§ आवंटित भवनों पर लगने वाले जल-कर एवं जलोत्सारण कर आदि किरायेदार द्वारा ही देय होंगे। महापालिका इन करों को नहीं देगी।

§4§ किराये नामें में यह शर्त रखी जाय कि किरायेदार द्वारा भवन का कब्जा लेने के पूर्व दो माह का किराया पेशगी देना होगा।

§5§ किरायेदार आवंटित भवन में कोई रद्दोवदल पिना नगर महापालिका की अनुमति के नहीं कर सकेगा।

2- आवंटन आदेश एवं महापालिका तथा किरायेदार के बीच लिखे जाने वाले इकरारनामों अनुबन्ध पत्र में किराये एवं अन्य शर्तों, जिनका उल्लेख उन पर किया गया है, का स्पष्ट रूप से समावेशन किया जावेगा। आवंटनी के महापालिका भवनों /दुकानों का कब्जा महापालिका एवं किरायेदार के बीच विधिवत् इकरारनामा सम्पादित करने के पश्चात् ही दिया जायेगा।

भवदीय,

EO राम बहादुर तुक्तेना
आयुक्त एवं सचिव

OFFICE OF THE VICE CHAIRMAN, LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY,
L U C K N O W

To,

Shri
.
.

No:

Dated:

Dear Sir,

With reference to your application dated for allotment of commercial shop/ residential accomodation, I am to inform you that shop/ flat No. in Lucknow carrying a monthly rent of Rs.exclusive of all the taxes which may be payable in accordance with law has been provisionally allotted/ allotted to you subject to its vacation. Please send your written acceptance of this offer of provisional allotment/allotment within 3 days of the receipt of this letter, failing which the provisional allotment order is liable to be cancelled. The Lucknow Development Authorities owes no responsibility if possession is not delivered to you on any account.

If you accept the offer, you are requested to deposit an amount equal to two months rent i.e. Rs. as security and two months rent advance in the Lucknow Development Authority Treasury in cash and send intimation thereof quoting the number of the receipt issued to you by the Lucknow Development Authority along with your letter of acceptance. Monthly rent shall become payable with effect from the date of your acceptance of the said allotment except where the house is not available for immediate occupation. The latter case rent shall be payable with effect from the date of occupation.

The monthly rent for the flat shall be payable in future in advance and tenancy will automatically stand determined if require by the L.D.A. The security deposit shall also be liable to be forfeited to the LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY fund in the event of such a contra-vention if any term and condition without prejudice to any other action that the Lucknow Development Authority may choose to take.

In case rent falls in arrears on any account simply interest @10% shall be payable by you to the Lucknow Development Authority till the arrears are actually paid by you. This will not effect in any way the condition that your tenancy shall automatically stand determined if any default in the payment of advance rent in any month. The arrears will also be recoverable as provided in the Lucknow Development Authority Adhiniyam and as arrears of Land Revenue.

Some terms and conditions of this allotment are given below: but these are not complete or exhaustive it may be further noted that a stamped agreement deed on a stamp paper worth Rs. will have to be excuted by you at your cost showing the terms and conditions of the lease including the following and which may further be imposed by the Lucknow Development Authority at the tire of execution of the stamped agreement.

contd....

TERMS AND CONDITIONS OF THE ALLOTMENT

1. The allotment will stand in your favour for a period of fifteen years from the date of order.
2. The rent of the flat will be enhanced to 50% from the existing rent after 5 years with effect from the date of possession and after the expiry of every five years the rate of rent be enhance to 12 1/2% of the prevailing rent.
3. No addition or alteration shall be permissible in the premises including all the fittings and fixtures in good conditions at your cost and also their safety. You will be liable to damages for all your acts of omission and commission which may cause damages to the premises in any manner.
4. You will be responsible for the maintenance of the premises including all the fittings and fixtures in good condition at your cost and also their safety. You will be liable to damages for all your acts of omission and commission which may cause damages to the premises in any manner.
5. All taxes imposed by Government or by the Lucknow Development Authority and charges for water-meter and for excess consumption of water and charges for electricity including rent of meter if any, shall be payable by you.
6. You will use the premises only for the living of hour family and shall have no right to permit the premises to be used for any other purpose or to allow any body else to live with you or permit its occupation to any one else either with you or otherwise.
7. Without prejudice to other terms and conditions including those in the body of this letter and stamped agreement to be executed by you, your tenancy shall be terminated on one months notice by either side. On the expiry of the period given in the notice by the Lucknow Development Authority, for termination of your tenancy the Lucknow Development Authority will have the right to take possession of the premises using force, if necessary, without taking recourse to any proceedings in any court of Law.
8. Possession of the premises will be delivered to you after the amount of security and two months rent in advance is deposited as mentioned in this letter. When you vacate the premises you shall hand over complete charge of the building together with the fittings and fixtures etc. to an employee of Lucknow Development Authority authorised in this behalf.
9. In case you give unauthorised possession to some one else other than the Lucknow Development Authority., you will be liable to pay damages per month equal to three month rent from the date of unauthorised possession till the Lucknow Development Authority obtains peaceful possession of the premises.
10. You will be liable to undertake annual repairs and white washing of the premises allotted to you at your cost, also when so directed by the Lucknow Development Authority which shall have the right to inspect the premises etc, at all reasonable times during the your tenancy to ensure that the building, fittings and fixtures etc. are maintained in a satisfactory condition. Please also note that you will further

contd....

be responsible to repair and replace, as the case may be, minor parts of the fittings and fixtures and fixtures and tapes etc., and to keep them in a satisfactory condition at your own expence in case of your default, the Lucknow Development Authority shall be adjustable from your security deposit. In case such costs exceed your security money, it shall be recoverable from you will be required to furnish security deposit fresh to the extent of two months rent as in this letter. In case the cost does not exceed as your security money you will have to make good the deficiency in the security amount.

11. Please also note that in case you or any member of your family as defined by the Government from time to time construct your own buildings, any where in Lucknow at any time during the continuance of this tenancy, you will have to vacate the premises herein allotted to you by the Lucknow Development Authority shall have the right to determine your tenancy and obtain possession of the premises as mentioned in this letter.

12. In case of breach of any term and condition, no notice would be required to be given by the Lucknow Development Authority to you and your tenancy shall automatically stand determined. The Lucknow Development Authority will be entitled to enter upon the premises either by force or otherwise, as the case may be without resorting to any legal action and in that case the Lucknow Development Authority will not be liable for any action whatsoever or damages in any manner. You will be liable to deposit all dues and arrears which stand on the above mentioned flat/shop at the time of handing over possession of the flat.

13. That in case you are a Government employee or your stay at Lucknow is dependent upon some Act or order of the Government, the premises is allotted to you till you are posted at Lucknow. You have to intimate one months in advance of the change of conditions of the allotment and to vacate the premises immediately thereafter, and hand-over vacant possession to the Lucknow Development Authority.

14. That the allotment order will be subject to any changes or modification at any time which are deemed necessary in the interest of the Lucknow Development Authority. The in allotment is also subject to Govt. orders that may be issued from time to time and will be deemed applicable upon you.

For any other informarmation please contact the Supdt. Rent in person at Lucknow Development Authority office.

PROPOSED AGREEMENT FORM

WHEREAS I resident of House No:
. Lucknow have taken on rent
. Rs. per month belonging to
the Lucknow Development Authority of the city of Lucknow
for a period of one year with effect from
at a monthly rent of Rs. per month the
possession of which I have duly received on

I do hereby agree to pay the monthly rent together with all rates, taxes, charges and assessment of every description which are now or may at any time hereafter be assessed charged or imposed on the property in advance by the 10th of every calendar month. In case the aforesaid monthly rent and taxes etc. remain unpaid and in arrears for more than fifteen days in any month. I shall be liable to ajectment from the premises. I shall also be liable to pay water tax @ Rs. per month or at such rates as may be fixed from time to time by L.D.A. authority in addition to the monthly rent. I shall use the premises for residential purposes only and shall have no right to sublet the whole or any part of the premises to any of my relations or to any of my relations or to any other person. A breach of this condition will amount to the termination of the tenancy of any covenant agreed hereto or the premises are occupied by an unauthorised person I shall be liable to pay liquidated damages at the rate of Rs. 10/- per day of unauthorised possession till possession is delivered back to the lessor namely Lucknow Development Authority.

I shall not vacate the quarter without paying off the entire arrears of rent and shall intimate to the Vice-Chairman the probable date of vacation at least one month in advance and at the time of vacation I shall make over possession of the premises together with all fittings and fixing to the vice-chairman through an official duly authorised by him.

I also agree that in case of my transfer from Lucknow the tenancy will automatically terminate on the date of my transfer and I undertake to vacate the premises within 15 days of my taking over at the place of my transfer and on my failure to do so I shall be liable to pay the aforesaid penalty at the rate of Rs. 10/- per day. Ordinarily the tenancy shall also be ~~terminata~~ terminable by either part on 30 days notice in-writing.

The rent and taxes referred to above do not include charges for the use of electricity which is to be paid by me to the U.P. Electricity Supply Undertaking direct or demand.

I further agree to compensate the L.D.A. for any loss or damage caused to the building or fittings thereof due to direct or indirect carelessness on my part or the part of any of servants.

contd.

TERMS AND CONDITIONS OF THE ALLOTMENT

1. The allotment will stand in my favour for a period of fifteen years from the date of order.
2. The rent of the flat will be enhanced to 50% from the existing rent with effect from the date of possession and after the expiry of every five years the rates of rent be enhanced to 12 1/2% of the prevailing rent.
3. No addition or alteration shall be permissible in the premises without the written permission of the L.D.A. and if any such unauthorised additions or alterations are made, the L.D.A. shall have the right to remove or demolish them without notice at my cost. The violation will be enough cause to terminate tenancy without notice.
4. I will be responsible for the maintenance of the premises including all the fittings and fixtures in good condition at my cost and also heir safety. I will be liable to damages for all my acts of omissions and commission which may cause damages to the premises in any manner.
5. All taxes imposed by Govt. or by the Lucknow Development Authority and charges for water meter and for excess consumption of water and charges for all electricity including rent of meter if any, shall be payable by me.
6. I will use the premises only for the living of my family and shall have no right to permit the premises to be used: any other purpose or allow anybody else to live with me or permit its occupation of any one else either with me or otherwise.
7. Without prejudice to other terms and conditions including those in the body of this letter and stamped agreement to be executed by me, my tenancy shall be terminated one months notice either side. On the expiry of the period given in the notice by the L.D.A. for termination of my tenancy the L.D.A. will have the right to take possession of the premises using force, if necessary without taking recourse to any proceedings in any court of Law.
8. Possession of the premises was delivered to me after the amount of security and two month's rent in advance was deposited as mentioned in this letter. When I vacate the premises I shall handover complete charges of the building together with the fittings and fixtures etc. to the employee of L.D.A. authorised in this behalf.
9. In case I give unauthorised possession to some one else other than the L.D.A. I will be liable to pay damages per month equal to three months rent from the date of unauthorised occupation till the L.D.A. obtains peaceful possession of the premises.
10. I will be liable to undertake repairs and white washing of the premises allotted to me at my cost, also, when so directed by the L.D.A. which shall have the right to inspect the premises etc. at all reasonable times during my tenancy to ensure that the building,

contd.....

fittings and fixtures etc. are maintained in satisfaction condition. Please also note that I will further be responsible to repair and replace, as the case may be, minor parts of the fittings and fixtures and tax etc. and to keep them in a satisfactory conditions at my own expenses. In case of my default the L.D.A. shall get any repair or in the premises carried out or fittings and fixture etc. replaced or repaired, as the case may be at my cost and such cost shall be adjustable from my security deposit. In case such costs exceed my security money, it shall be recoverable from me and I shall be required to furnish security deposit a fresh to the extent of two months rent as in this letter. In case the cost does not exceed my security money I will have to make good the deficiency in the security amount.

11. I also agree that in case I or any member of my family as defined by the Govt. from time to time, construct my own building any where in Lucknow at any time during the continuance of this tenancy I will have to vacate the premises herein allotted to me by the L.D.A. in case of my failure to do so, tenancy and obtain possession of the premises as mentioned in this letter.
12. In case of a breach of any term and condition no notice would be required to be given by the L.D.A. to me and my tenancy shall automatically stand determined. The L.D.A. be entitled to enter upon the premises either by force or otherwise, as the case may be without resorting to any legal action and in that case the L.D.A. will not be liable for any action whatsoever or damage in any manner. I will be liable to deposit all dues and arrears which stand on the above mentioned flat at the time of handing over possession of the flat.
13. That in case I am a Govt. or L.D.A. employee or my stay at Lucknow is dependent upon some Act or order of the Government, the premises is allotted to me till I am posted at Lucknow. I have to intimate one month in advance of the change of conditions of the allotment and to vacate the premises immediately thereafter and handover vacant possession to the L.D.A.
14. That the allotment order will be subject to any change or modifications at any time which are deemed necessary in the interest of the L.D.A. The allotment is also subject to any Govt. orders that may be issued from time to time and will be deemed applicable upon me.

LEASSEE:

DATED:

1. WITNESS TO SIGNATURE:

2. WITNESS TO SIGNATURE:

विषय संख्या: 5

पृष्ठ संख्या: 26

विषय: विकास प्राधिकरण के लिये 3 ट्रिपर ट्रक एवं
2 टैंकर की आपूर्ति।

XXXXXXXXXXXX

विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों में वृद्धि हुई है और लखनऊ विकास प्राधिकरण के पेंवर फिनिसर यूनिट द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मार्गों का निर्माण किया जा रहा है और पेंवर स्थल से विभिन्न क्षेत्रों में गिट आदि पहुंचाने के लिये ट्रिपर्स की आवश्यकता बढ़ गई है।

इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष लगभग 50 कि०मी० मार्ग का निर्माण किया जाता है जिन्हे जल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग में केवल एक टैंकर उपलब्ध है।

अतएव अनुशांसा की जाती है कि उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 3 ट्रिपर ट्रक और 2 टैंकर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। एक ट्रिपर के क्रय पर रु० 3.00 लाख एवं टैंकर के क्रय पर रु० 3.50 लाख रुपये के लगभग व्यय होने का अनुमान किया गया है।

उपरोक्त की स्वीकृति हेतु विकास प्राधिकरण के समक्ष विषय प्रस्तुत है, कृपया स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

विषय: श्री अम्मार रिज़वी को अलीगंज योजना के अर्न्तगत प्लॉट संख्या वी०-66 सेक्टर "वी०" में रोड पटरी को गार्डन लीज़ पर दिया जाना।
=====

श्री अम्मार रिज़वी को अलीगंज योजना के अर्न्तगत भूखण्ड संख्या वी०-66, सेक्टर "वी" आवंटित है। इस भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 5,175 वर्गफिट है और इसका पट्टा उनके पक्ष में किया जा चुका है और इनका भवन भी निर्मित हो चुका है। यह कार्नर का भूखण्ड है। इस भूखण्ड के एक तरफ 80 फुट चौड़ी और दूसरी तरफ 60 फुट चौड़ी सड़क है। रोड पटरी के अतिरिक्त 694 वर्गफुट भूमि है जो इन्हें पुनः आवंटित करके पट्टे पर दी जा चुकी है अब इन्होंने यह प्रार्थना पत्र दिया है कि 60 फुट चौड़ी रोड और 80 फुट चौड़ी रोड के किनारे पटरी पर इन्हें पेड़ लगाने की अनुमति दे दी जाये, वह उते गार्डन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उतमें कोई पक्का निर्माण नहीं करेंगे केवल तारों से घेरेंगे। यह प्रश्नगत भूमि रोड पटरी की भूमि है और इनके मकान के दोनों तरफ सामने व साइडमें पड़ती है। इस पटरी की भूमि में लगभग 10 फिट भूमि यह गार्डन लीज़ पर चाहते हैं। साधारणतः रोड पटरी की भूमि गार्डन लीज़ पर नहीं दी जाती किन्तु अतिक्रमण के भय से पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से श्री रिज़वी को यह भूमि निम्न प्रस्ताव पर देने में प्राधिकरण विचार कर ले।

प्रस्ताव =====

अतः प्रस्ताव है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्लॉट संख्या वी- 66 सेक्टर "वी" अलीगंज में रोड पटरी की भूमि श्री अम्मार रिज़वी को गार्डन-लीज़ पर अस्थाई तौर पर आवंटित की जाये:-

§1§ भूमि पर स्थायी निर्माण नहीं होगा और न ही इससे जिंद्दी, केकड़ आदि निकाला जायेगा। इस भूमि को बेचने या बन्धक या शिकनी किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा। प्राधिकरण को जिस दिन आवश्यकता होगी, बिना कारण बताये बिना प्रतिकर के, बिना टालमटोल के प्राधिकरण को कृपया हस्तगत करना होगा, किसी भी समय पट्टा निरस्त करने पर भूमि खाली करा ली जायेगी।

क्रमशः.....

॥2॥

यदि भूमि के संलग्न भूखण्डों के आवंटियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो यह लीज निरस्त की जा सकती है। इसका प्रतिफल इतीहास बिक्रय मूल्य का 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगा जो प्रतिवर्ष 20 रु. तक जमा करना होगा।

विपरीतमात्रा प्राधिकारण पर निर्भर कोहित है।

विषय: दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्कर्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया कलकत्ता को लखनऊ चैप्टर आफ कास्ट एकाउन्टेन्ट्स & ओरल कोचिंग सेंटर को 0.5 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

आख्या : अध्यक्ष, दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्कर्स एकाउन्टेन्ट्स, कलकत्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.2.85 प्रतिलिपि संलग्न द्वारा अनुरोध किया है कि उक्त संस्थान को लखनऊ चैप्टर आफ कास्ट एकाउन्टेन्ट्स & ओरल कोचिंग सेंटर को 0.5 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना में रियायती दर पर आवंटित कर दी जाये।

उपरोक्त पत्र के अनुसार उपरोक्त संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- 1- To develop the cost and Management accountancy profession;
- 2- To develop the body of member and properly equip them for functions;
- 3- To ensure sound professional ethics;
- 4- To keep abreast of new developments.

उपरोक्त चैप्टर इस समय जय नारायण डिग्री कालेज, लखनऊ में ओरल कोचिंग का कार्य कर रहा है। चूंकि यह एक शैक्षिक संस्था है, अतः इसे रियायती दर पर भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं है।

इस संबंध में यह भी उल्लेख करना है कि गोमती नगर आवास योजना में इन्स्टीट्यूट आफ प्लानर्स आफ इंडिया, सेंट्रल स्कूल तथा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को आवासीय दर की आधी दर पर भूमि दी गई है।

प्रस्ताव : उपरोक्त संस्था को 0.5 एकड़ भूमि वर्तमान आवासीय दर रु0 175 /- प्रति वर्ग मी की आधी दर पर आवंटित कर दी जाये।

क्रमशः.....

THE INSTITUTE OF COST & WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA
C A L C U T T A

Date: 18.2.85

To,

The Vice Chairman,
Lucknow Development Authority,
Lucknow.

Sub: Allotment of land to Lucknow Chapter of Cost Accountants for oral coaching centre.

Dear Sir,

The Institute of Cost and Works accountants of India was constituted by a Statute of Government of India, viz. Cost and works Accountants Act, 1959. The Institute stands to the following ideals;

- (i) to develop the cost and management accountancy profession;
- (ii) to develop the body of members and properly equip them for function;
- (iii) to ensure sound professional ethics;
- (iv) to keep abreast of new developments.

2. Our Institute has now on roll about 7,000 members and exceeding one lac students.

3. The Institute has its head quarter at Calcutta. It has four regional councils and 46 Chapters all over India.

4. Presently Lucknow Chapter of Cost Accountants is located in Jai Narain Degree College, Lucknow. It is being managed by the local Cost Accountants, on behalf of the Institute they are giving honorary services to the Chapter.

5. Since the Lucknow Chapter of Cost Accountants will continue to impart oral coaching to students, it has now been decided to have our own land so that a building of the Institute for the above Chapter could be constructed.

Contd.:.....

6. Therefore, the Institute is approaching you to kindly arrange to allot a piece of land of half acre in your wellknown 'Gonti Nagar Scheme' which is nearer to City.

7. Since the aim of the Institute is social one, it is requested that above land may please be allotted at concessional rate so that the Lucknow Chapter may start construction immediately.

Thanking you very much.

Yours faithfully,

Sd/-

(R.L. Bhatia)
President.

विषय: कास्टिंग एवं इकोनामिक प्लानिंग विभाग हेतु
स्टाफ़ के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यकलाप प्रति वर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि गत तीन वर्षों के निम्नलिखित वास्तविक व्यय से ज्ञात होगा :-

	वास्तविक व्यय ₹ करोड़ में
1981-82	6.68
1982-83	17.02
1983-84	28.58

वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ₹0 60.05 करोड़ से घटाकर ₹0 42.74 करोड़ कर दिया था। जिसके विपरीत जनवरी, 1985 तक ₹0 25.00 करोड़ का व्यय हो चुका है। आशा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक लखनऊ विकास-प्राधिकरण अपने पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार ही व्यय कर लेगा।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि वर्तमान स्टाफ़ से आगे कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, अतः स्टाफ़ की मांग निकांली गई है जो सैल्यन विवरण में स्टाफ़ की आवश्यकता, वर्तमान स्टाफ़ के अतिरिक्त स्टाफ़ दर्शाया गया है। अतिरिक्त स्टाफ़ पर ₹0 1,38,000/- वार्षिक व्यय अनुमानित है।

=x=x=x=x=x=x=x

STATEMENT SHOWING REQUIREMENT OF STAFF FOR COSTING AND
ECONOMIC PLANNING DEPARTMENT

Sl. No.	Name of Post	Pay Scale	No. of Posts required	No. of Existing Posts	No of extra posts required.	Monthly emoluments for extra posts.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
						(approx.)(Rs.)	
1.	Cost Accountant Cum-Economic Planner	1780-2300	1	1	Nil	-	
2.	Dy. Cost Accountant	850-1720	1	-	1	1,520.00	
3.	Assistant Economic Planner	850-1720	1	-	1	1,520.00	
4.	Senior Assistant Cost Accountant	570-1100	3	3	Nil	-	
5.	Economic Planning Assistant	570-1100	2	-	2	2,185.00	
6.	Assistant Cost Accountant	485-860	2	-	2	1,889.28	
7.	Costing Clerks	360-620	2	1	1	700.00	
8.	Steno	420-735	1	1	Nil	-	

contd.....

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	<u>Second Grade Clerks</u>						
	i. Diary and Despatch Clerks	340-550	2	1	1	642.00	
	ii. Typist	340-550	2	1	1	642.00	
10.	Peons	305-390	7	3	4	2,323.00	
						<u>11,421.28</u>	
					For one month	:	<u>11,421.28</u>

For one year : $11,421.28 \times 12 = \text{Rs. } 1,37,055.36$
 Sy Rs. 1,38,000/-

विषय: विकास प्राधिकरण में अनुसचिव के पदों पर प्रधान लिपिकों
 §अनुभाग-अधिकारियों§ एवं वैयक्तिक सहायकों §निजी सचिवों§
 को वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति देने के संबंध में।
 =====

लखनऊ विकास प्राधिकरण में अनुसचिव के 5 पद पहले से ही विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित हैं ^{जिनपर} प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी है। विकास प्राधिकरण में केन्द्रियत सेवा के कार्यालय अधीक्षक पद पर श्री रिधाजुल हक सिद्दीकी पहले से कार्यरत हैं और इन्होंने अपनी सेवार्थे प्राधिकरण में संविलित करके अनुसचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसपर शासन द्वारा "नो-आवजेक्षण" प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त श्री देवी वक्श सिंह, वैयक्तिक सहायक-सचिव जो अपने पद के कार्य के साथ ही साथ संसदीय कार्य भी सन् 1975 से ही भली-भाँति देख रहे हैं, ने अनुसचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। विकास प्राधिकरण में अनुभागीय, प्रधान लिपिक का वेतनमान रु० 420-735, अधीक्षक कार्यालय का वेतनमान रु० 530-940 तथा अनुसचिव का वेतनमान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये अध्यादेश मे रु० 770- से 1600/- रखा गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या - 808-1§11§-5-1-डी०ए०/82, दिनांक 10.10.1984 द्वारा अनुसचिवीय पदों को दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें प्रथम भाग लिपिकीय श्रेणी तथा द्वितीय भाग में निजी सचिव एवं वैयक्तिक सहायकों को रखा गया है।

अतः अनुज्ञप्ता की जाती है कि उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर अनुसचिव के पदों पर प्रधान लिपिकों एवं वैयक्तिक - सहायकों में से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति देने हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

विषय: लखनऊ हरदोई रोड के दाहिने ओर प्रस्तावित
योजना की भूमि को आवासीय उपयोग हेतु
भूमि परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

XXXXXXXX

योजना का सचिक्शाप्त विवरण:
=====

लखनऊ हरदोई रोड के दाहिने ओर लगभग 3000 एकड़ भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा राधा ग्राम सर्वे कामधोनु नगर योजना बनाई गई है, जिसमें लखनऊ नगर के दुग्धा व्यवसायियों को बसाया जाना प्रस्तावित है । मास्टर प्लान में उक्त स्थल जो लखनऊ इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट का फारेस्ट है, वह रीजनल पार्क तथा अवशेष भूमि खोती के लिये रिक्त छोड़ी गई है । नगर की बढ़ती हुई आवादी को दृष्टिगत रखाते हुए यह आवश्यक हो गया है कि उक्त योजना में आवासीय समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के भावनों का भी निर्माण कराया जाये । जिसके लिये मास्टर-प्लान में उक्त स्थल को आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित करने के लिये शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । उक्त योजना में उक्त स्थल पर जमीन का उपयोग आवासीय रूप में प्रयोग करने के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति की स्वीकृति आवश्यक है, जिसमें भूमि उपयोग § लैन्ड-यूज़ § परिवर्तन करने के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा जा सके ।

अतः उक्त स्थल पर आवासीय निर्माण हेतु भूमि का प्रयोग करने के लिये विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष मानचित्र में प्रदर्शित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित करने हेतु विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

X=X=X=X=X=X=X=X

विषय संख्या: 11

पृष्ठ संख्या: 37

विषय: लिबर्टी सिनेमा के निकट क्षेत्र में व्यवसायिक योजना हेतु भूमि अर्जन ।

सारांश: लिबर्टी सिनेमा के पश्चिम में खाली भूमि पर एक व्यवसायिक योजना बनाई गई है । लखनऊ नगर के मध्य होने के कारण से यह एक आकर्षक योजना होगी । जिसका कुल क्षेत्रफल 1.04 एकड़ है योजना की बाउन्ड्री निम्न प्रकार है :-

उत्तर : 10 फिट चौड़ी सड़क, खासरा नः 300 व 301
पी०मो० खास बाजार

दक्षिण: सरहद मुहल्ला ख्यालीगंज & केन्टोमेन्ट रोड &

पूर्व : लिबर्टी सिनेमा के पूर्व रोड खासरा नः 256
पी०मो० खास बाजार ।

पश्चिम : कोठी व रास्ता कोठी श्री इक़बाल अमीन श्री मुशारि आलम
फारूकी ऐडवोकेट, खासरा नः 301 पी०मो० खास बाजार ।

उपरोक्त भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में जिलाधिकारी को पत्र एल०डी०ए०/ए०सी०/55 दिनांक 21-1-85 को भेजे जा चुके हैं ।

अतः निम्न बिन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

1- भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत 1.04 एकड़ भूमि अर्जन की स्वीकृति ।

2- योजना का नाम- लिबर्टी सिनेमा के निकट क्षेत्र पर व्यवसायिक योजना का नाम रखाने की स्वीकृति ।

XXXXXXXXXXXX

विषय: महाराणी लक्ष्मीबाई मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना के भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।

सारांश: लखनऊ शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए महाराणी लक्ष्मीबाई मार्ग पर तुलसी टाकीज के पास एक भाग पर जिसका कुल क्षेत्रफल 8.50 एकड़ है, पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित योजना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

उत्तर: खसरा नं० 115, 225, मोहल्ला खास बाजार ।

दक्षिण: खसरा नं० 211, 214पी., 244पी., 243पी., 242, 240पी., मोहल्ला खास बाजार।

पूरब: खसरा नं० 231पी., 233, 240पी., मोहल्ला खास बाजार।

पश्चिम: खसरा नं० 212पी., 122पी., 123पी., 124पी., 118पी., 116पी., मोहल्ला खास बाजार।

उक्त योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि की भूमि अध्यापित अधिनियम के अन्तर्गत धारा 17(1), 17(1)-ए के प्राविधानोंसहित धारा 4 व 6 के अन्तर्गत अर्जित किया जाता है।

अतः निम्न बिन्दुओं पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

111 योजना का नाम "महाराणी लक्ष्मीबाई मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना"

121 चूंकि लखनऊ मास्टर प्लान में यह क्षेत्र व्यवसायिक है। अतः इसके भू-उपयोग व्यवसायिक कम आवासीय करने की स्वीकृति।

विषय: दो स्टेशन रोड पर व्यवसायिक कार्यालय एवं आवासीय
 भवन के निर्माण के लिए भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।

सारांश: हुसेनगंज फ़ार्सिंग के पास दो स्टेशन रोड पर व्यवसायिक कार्यालय
 एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु योजना तैयार की गई है, जिसका
 कुल क्षेत्रफल बीघा 1-12-13-17 है। इस प्रस्तावित योजना हेतु
 अर्जित की जाने वाली भूमि की सीटबंदी निम्न प्रकार है:-

- उत्तर: खसरा नं० 865पी., 868पी., 871पी., मोहल्ला हुसेनगंज ।
- दक्षिण: वाउन्डी मोहल्ला मकबूलगंज एण्ड खसरा नं० 835पी., मोहल्ला
 हुसेनगंज ।
- पूरब: खसरा नं० 880पी., 876पी., 873पी., 877पी., 861पी., 858पी.,
 854पी., 840पी., 834पी., ।
- पश्चिम: 865पी., 866पी., 856पी., 837पी., मोहल्ला हुसेनगंज ।

अतः उपरोक्त भूमि को भूमि अध्याप्त अश्रिनियम की धारा 17111,
 1711-ए के प्रावधानों सहित धारा 4 व 6 के अन्तर्गत अर्जित किया जाना
 है।

अतः निम्न बिन्दु पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

- 111 योजना में आने वाली भूमि बीघा 1-12-13-17 है को भूमि
 अध्याप्त अश्रिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की स्वीकृति।
- 121 चूंकि लखऊ मास्टर प्लान में यह क्षेत्र आवासीय है अतः इसके भू:-
 उपयोग व्यवसायिक कार्यालय, एवं आवासीय करने की स्वीकृति।
- 131 योजना का नाम " कार्मश्रियल एवं आवासीय स्टेशन रोड योजना "

विषय: सीतापुर रोड परिवहन भाग-2 हेतु भूमि अर्जों के सम्बन्ध में।

सारांश: लखनऊ विधान प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड पर एक बृहत् योजना
सीतापुर रोड परिवहन भाग-2। बर्नाई गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1125.37 एकड़ है, योजना की बहिर्द्वी विम्ब प्रकार है:-

उत्तर: कसरत सं० 309, ग्राम सेमरागाड़ी [रास्ता भाग]

दक्षिण: कसरत सं० 253, ग्राम इरावतनगर, सीतापुर रोड

पूरव: सीतापुर रोड व टिम्बरनगर स्टीम ।

पश्चिम: सीमा ग्राम महेहन्य कसरत सं० 138, 129, ग्राम अहिबरनपुर, कसरत सं० 223, 222, 218, 215, 211, 214, 157, 193, 199, 198, 197, 233, 234, 196, 195, 193, 192, 180, 181, ग्राम फुलतारगंज, गरिमीट सीमा ग्राम रहीमनगर, कुडीली सीमा, ग्राम बाधस्ता ।

उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि की भूमि अध्यापित अधिनियम की धारा 17(1), 17(1)-ए के प्राविधानों सहित धारा 4 व 6 के अन्तर्गत अर्जित किया जाता है।

अतः विम्ब बिन्दुओं पर विद्यारथ प्रस्तुत है।

111 योजना का नाम "सीतापुर रोड परिवहन भाग-2" रखने की स्वीकृति।

121 योजना में आने वाली भूमि बीघा 1125.37 एकड़ है, को भूमि अध्यापित अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति।

विषय: मोहल्ला सहायतगर्ज वार्ड में "बुरवाडी आवासीय योजना"
 हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।

सारांश: तत्काल क्षेत्र के पिछड़े हताशे में सुधार लाने हेतु सहायतगर्ज वार्ड में बुर
 वाडी हाउसिंग योजना निर्मित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत
 12.07 एकड़ भूमि अर्जित किया जाने का प्रस्ताव है। योजना की
 विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:-

उत्तर: खसरा नं० 88, 89, 220, 222, 216, 259पी., फा जिल्लनगर सरहद
 मोहल्ला फा जिल्लनगर ।

दक्षिण: खसरा नं० 2085पी., 2095, 2094, 2086पी., सहायतगर्ज, खसरा नं०
 401, 400, 389, 305, 304, 303, मोहल्ला मन्सूरनगर ।

पूरब: खसरा नं० 10, 1पी., 270, 271, 274, 275, 276 277, मोहल्ला
 मन्सूरनगर ।

पश्चिम: खसरा नं० 92पी., 155पी., 156, 219पी., 158, 160, 174, 173, 172,
 169, 166, मोहल्ला फा जिल्लनगर, व खसरा नं० 2083, 2084, मोहल्ला
 सहायतगर्ज ।

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमि की भूमि
 अध्यापित अधिनियम की धारा 17111, 1711-ए1 के प्राविधानों सहित धारा
 4 व 6 के अन्तर्गत अर्जित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः विस्तृत बिन्दुओं पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

111 योजना का नाम "बुर बाडी आवासीय योजना" रखने की अनुमति।

121 योजना में आने वाली भूमि 12.07 एकड़ भूमि की भूमि अध्यापित
 अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की स्वीकृति ।

विषय: टिठैतराय ताताव सन्निदयीकरण एवं आवास पास के क्षेत्र
 =====पर आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में।

सारशि: हतिवा तिल स्थल टिठैतराय ताताव की जीर्ण शीर्ण दशा की
 =====सन्निदयीकरण पर उच्च स्तर पर विचार हुआ था, इस क्षेत्र का
 सर्वेक्षण कराया गया था, जिसका क्षेत्र 10.69 एकड़ है। योजना
 की सर्वोत्तरी निम्न प्रकार है:-

दक्षिण: कसरा सं० 12, 11, मोहल्ला सुप्पा रासि वाठन्डी सुप्पा रासि,
 =====

उत्तर: पल्हा रोड, कसरा सं० 46, 48, 345, सं० टिठैतगज ।
 =====

पूरव: कसरा सं० 344, 343, 342, 116, 114, 113, 112, 106, 105, 93,
 =====95, 97, 92, 13, मोहल्ला सुप्पा रासि ।

पश्चिम: कसरा सं० 12, 14, ग्राम टिठैतगज, वाठन्डी मोहल्ला विहारीपुर
 =====

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि को भूमि अध्याप्ति
 अधिनियम की धारा 17(1), 17(1)-21 के प्रावधानों के तहत धारा 4 व 6
 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जित किया जाना है।

अतः निम्न बिन्दु विचारार्थ प्रस्तुत है:-

111 योजना का नाम "टिठैतराय ताताव सन्निदयीकरण एवं आवासीय
 योजना" रखने की स्वीकृति।

121 योजना में आने वाली भूमि 10.69 एकड़ को भूमि अध्याप्ति
 अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की स्वीकृति ।

विषय: मोहला घसियारी मण्डी लैण्ट रोड पर स्थित टिकरा हाउस के स्थल पर व्यवसायिक भवन के निर्माण के लिए भूमि अर्जित के सम्बन्ध में ।

सारांश: लखनऊ शहर की बढ़ती आवादी को देखते हुए मुख्य बाजार में दवाव कम करने के लिए लैण्ट रोड पर एक व्यवसायिक योजना बनाई गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल बीघा 2-2-5-1 [1.32एकड़] भूमि है। योजना की गहिराई निम्न प्रकार है:-

- पूरव:** खसरा नं० 587 घसियारी मण्डी ।
पश्चिम: खसरा नं० 531 घसियारी मण्डी ।
उत्तर: खसरा नं० 529 लैण्ट रोड ।
दक्षिण: खसरा नं० 582, एवं 566 घसियारी मण्डी ।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 17(1), व 17(1)-ए के प्रावधानों सहित धारा 4 व 6 के अन्तर्गत अर्जित किया जाता है।

अतः निम्न बिन्दुओं पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

- 111 योजना का नाम "लैण्ट रोड पर आवासीय योजना" ।
- 121 योजना में आने वाली भूमि बीघा 2-2-5-1 [1.32एकड़] है, जो भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की स्वीकृति ।
- 131 चूंकि लखनऊ मास्टर प्लान में यह क्षेत्र आवासीय है। अतः इसका भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक करने की स्वीकृति।

विषय: काठपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के अन्तर्गत
 आने वाली समस्त भूमि का भू:उपयोग परिवर्तन करने
 के सम्बन्ध में ।

सारांश: लखनऊ काठपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत भाग-4 की
 योजना शासन के समक्ष विद्यमान तन्मिति है , जिसका मुख्य कारण
 यह है कि लखनऊ में मास्टर प्लान के अन्तर्गत यह क्षेत्र ग्रीन बेल्ट
 एवं डूज्ड है, जबकि इस भू:भाग पर व्यवसायिक एवं आवासीय
 योजना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त योजना की समस्त
 भूमि ग्रीन बेल्ट एवं डूज्ड लखनऊ मास्टर प्लान में उल्लिखित है ।
 अतः भू:उपयोग ग्रीन बेल्ट डूज्ड से व्यवसायिक एवं आवासीय करने
 की स्वीकृति पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

शुक्ला/

विषय: अर्जुन विभाग हेतु तीन लिपिक पदों एवं चार परोकार
की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

सारांश: अर्जुन विभाग से सम्बन्धित मुकदमों का कार्य अभियन्त्रण खण्ड-7 के
द्वारा देखा जा रहा है, और वर्तमान समय में विभिन्न न्यायालयों
में लगभग 700 मुकदमों चल रहे हैं। इनकी परकी का कार्य वर्तमान
समय में तीन लिपिक । दैनिक वेतन भोगी । व चार परोकार
। दैनिक वेतन भोगी । के द्वारा किया जा रहा है। यह व्यवस्था
काफी दिनों से चली आ रही है, और लिखत भविष्य में भूमि
अर्जुन का कार्य बहुत तेजी से होने सम्भावना है, अतः उक्त को
दृष्टि में रखते हुए लिटीगेशन भी बढ़ना स्वाभाविक है। अतः
उपरोक्त परिस्थितियों में तीन लिपिक के पद । वेतन मान 340-
550। व चार परोकार के पद । वेतनमान 305-390 । स्वीकृत
करने हेतु लखनऊ विद्यास प्राधिकरण के समक्ष आख्या विद्यारथी
प्रस्तुत है।

विषय: अर्जुन विभाग हेतु तीन लिपिक पदों एवं चार परोकार
की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

सारांश: अर्जुन विभाग से सम्बन्धित मुकदमों का कार्य अभियन्त्रण खण्ड-7 के
द्वारा देखा जा रहा है, और वर्तमान समय में विभिन्न न्यायालयों
में लगभग 700 मुकदमों चल रहे हैं। इनकी परकी का कार्य वर्तमान
समय में तीन लिपिक । दैनिक वेतन भोगी । व चार परोकार
। दैनिक वेतन भोगी । के द्वारा किया जा रहा है। यह व्यवस्था
काफी दिनों से चली आ रही है, और लिखत भविष्य में भूमि
अर्जुन का कार्य बहुत तेजी से होने सम्भावना है, अतः उक्त को
दृष्टि में रखते हुए लिटीगेशन भी बढ़ना स्वाभाविक है। अतः
उपरोक्त परिस्थितियों में तीन लिपिक के पद । वेतन मान 340-
550। व चार परोकार के पद । वेतनमान 305-390 । स्वीकृत
करने हेतु लखनऊ विद्यास प्राधिकरण के समक्ष आख्या विद्यारथी
प्रस्तुत है।

शुभला /

शुभला /

विषय: गोमती नगर आवास योजना में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

अलीगंज योजना के सेक्टर "ई" ग्रीन बेल्ट में एक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स तथा एक स्वीमिंग पूल की स्थापना किये जाने का विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20-7-82 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्पोर्ट्स काम्पलेक्स हेतु मूल्य रहित आधार पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु भूमि निम्न शर्तों के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया था :

- 1॥ स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल के निर्माण हेतु भूमि रु० 1.00 रूपया एक केवल प्रति वर्ग के टोकन तीज पर दी जायेगी ।
- 2॥ उपरोक्त स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल का निर्माण भूमि का कब्जा दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रारम्भ करना होगा तथा तीन वर्षों में पूर्ण करना होगा । अपरिहार्य परिस्थितियों में समय में वृद्धि, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रदान की जायेगी ।
- 3॥ उपरोक्त स्टेडियम में सीढ़ियों के बीच छालाड़ियों के आवास की व्यवस्था की जा सकती है । उक्त स्टेडियम के प्रांगण में ही वाच रेण्ड वार्ड स्टाफ के लिये आवास की व्यवस्था की जा सकती है । किन्तु इस सभी के लिये निर्माण से पूर्व प्लान लखनऊ विकास प्राधिकरण से पास कराना अनिवार्य होगा ।
- 4॥ उपरोक्त स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल के संचालन हेतु एक प्रबन्धा समिति का गठन करना होगा, जिसके सदस्य प्रशासक, नगर महापालिका/सचिव, विकास प्राधिकरण लखनऊ भी होंगे । इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी लखनऊ तथा निदेशक, खोलकूद उत्तर प्रदेश भी उक्त समिति के सदस्य होंगे ।
- 5॥ स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा ।
- 6॥ अन्य खोलकूद एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को उपरोक्त स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल की सुविधा उपलब्धता के आधार पर की जायेगी ।
- 7॥ स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल के उपयोग के लिये फीस आदि का निर्धारण उपरोक्त प्रबन्धा समिति द्वारा किया जायेगा । स्टेडियम का प्रयोग खोलकूद से सम्बन्धित कार्यों के लिये ही करना होगा, अन्यथा नहीं ।
- 8॥ स्वीमिंग पूल के उपयोग की सुविधा/सदस्यता अलीगंज निवासियों के लिये विशेषा स्म से तथा नगर के अन्य निवासियों के लिये सामान्यतया उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी जिसके लिये प्रबन्धा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा । लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा नगर महापालिका, लखनऊ के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये वही सुविधाएँ प्रदान की जायेगी जो

कृपया:—

- पी०एण्ड टी० विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को दी जायेगी ।
- 9१ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को निदेशक, खोलकूद, उ०प्र० लखनऊ की संस्तुति पर उक्त स्टेडियम का प्रयोग केवल निर्दिष्ट उपयोग के लिये उपलब्ध कराना होगा ।
 - 10१ स्टेडियम के अन्दर दुकान/कियास्क/व्यवसायिक स्टाल का निर्माण नहीं कराया जायेगा ।
 - 11१ स्वीमिंग पूल तथा स्टेडियम के प्रयोग के उद्देश्य से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
 - 12१ स्टेडियम का नामकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण के परामर्श एवं अनुमोदन के पश्चात ही किया जायेगा ।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रस्ताव जिला प्रबन्धक टेलीफोन को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26-8-82 द्वारा भेजा गया था जिसमें उपरोक्त शर्तें अंकित थीं । चूंकि शर्तों की सहमति जिला प्रबन्धक टेलीफोन से प्राप्त नहीं हुई, अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 9-2-83 द्वारा दिया गया प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया ।

इसके पश्चात जिला प्रबन्धक टेलीफोन ने तत्कालीन उपाध्यक्ष से वार्ता की कि उन्हें अलीगंज योजना के स्थान पर गोमती नगर योजना में ग्रीन बेल्ट में 20 एकड़ भूमि दे दी जाये । अन्ततोगत्वा यह निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना के विनय खाण्ड के पूर्व में 100 फुट चौड़ी सड़क तथा हुसरिया नाले के बीच में जो भूमि उपलब्ध है, वहीं पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हेतु 220 मी०x४४० मी० का भूखण्ड दे दिया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि विकास प्राधिकरण को वाह्य विकास कार्य कराने होंगे, तथा भूमि का प्रतिकर भी देना होगा, अतः इस समय प्रचलित दर रु० 15/- प्रति वर्गफुट की आधी रु० 7.50 प्रति वर्गफुट की दर से भूमि देते हेतु सूचित किया गया तथा उनसे रु० 78.147 लाख की मांग की गई ।

उपरोक्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात जिला प्रबन्धक टेलीफोन ने माननीय खोलकूद तथा वन मन्त्री, उ०प्र० सरकार को अपने पत्र दिनांक 27-9-84 द्वारा अनुरोध किया कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हेतु सांकेतिक मूल्य पर भूमि दिलवा दी जाये । इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-5, द्वारा उत्तर मांगा गया । उन्हें उपरोक्त स्थिति से अवगत करा दिया गया है तथा सूचित कर दिया गया है कि बिना मूल्य प्राप्त किये उन्हें भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है ।

पु स्ता व

चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण को वाह्य विकास कार्य करने पड़ेगे तथा भूमि का प्रतिकर भी देना पड़ेगा, अतः वर्तमान मूल्य की आधी दर पर ही भूमि दी जाये ।

प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु विषय प्रस्तुत है ।

=====

विषय: श्री तैय्यद मोदी, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को गोगती नगर योजना में रिबायती दर पर झूखण्ड आवन्तन के सम्बन्ध में ।

=====

श्री मोदी को गोगती नगर योजना के अन्तर्गत विजय खण्ड में झूखण्ड संख्या ए-1/34 आवन्तित है । श्री एवं श्रीमती मोदी वैडमिन्टन खेल जगत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं । उन्हें भारत का नाम ऊँचा करने का गौरव प्राप्त है । उत्तर प्रदेश राज्य के केवल श्री मोदी ही ऐसे पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के मनोबल की बढ़ोत्री तथा उसे उत्साहित करना औचित्यपूर्ण होगा ।

अतः यह मामला प्राधिकरण के समक्ष निर्णायार्थ प्रस्तुत है कि " श्री मोदी से झूखण्ड की दर उनके खेल जगत की उपलब्धियों को देखते हुए सामान्य दर से आधी दर पर दे दिया जाये । "

श्री मोदी की उपलब्धियों के विवरण संलग्न हैं ।

प्रस्ताव:
=====

प्रस्ताव है कि श्री तैय्यद मोदी को आवन्तित झूखण्ड की दर सामान्य से आधी दर पर लिया जाय ।

x=x=x=x=x=x=x=x

B I O - D A T A

Name: SYED MODI
Date of Birth: 31st December, 1962
Education : Passed B.A. Final Year, 1982
U.P. Board, Allahabad.
Service : Senior Welfare Inspector, N.E. Railway,
Gorakhpur.

BADMINTON
ACHIEVEMENTS:

- 1974 : National Schools Champion from 1974 to 1977
- 1975 : U.P. State Men's Singles Champion from
1975 to 1978.
- 1976 : National Junior Champion from 1975, 1976
& 1978. Represented INDIA in '4th Asian
Championship' at HYDRABAD.
- 1977 : Represented INDIA in '2nd Asian invitation
Championship' at HONGKONG.
- 1978 : Represented INDIA in 3rd Asian invitation
Championship' at Peking, CHINA. RUNNER'S-UP
in Men's Doubles and 3rd position in
Junior Singles.
Represented INDIA in 'XI Common Wealth
Games' at Edmonton, CANADA.
Represented INDIA in '8th Asian Games' at
BANGKOK. National Ranking No:3 in Men's
Single.
- 1979 : RUNNER'S-UP in Men's Singles in National
Championship' at Udaipur, RAJASTHAN.
Represented INDIA for 'THOMAS CUP' Tie at
Kualalumpur, MALAYSIA.
Represented INDIA for ' THOMAS CUP' Tie in
Semi Final against DENMARK at Jakarta,
INDONESIA.
Represented INDIA in 'Solanger Golden Jubilee
Tournament' at Kualalumpur, MALAYSIA.
Participated in 'International Tournament'
in India. INDIAN RAILWAYS Men's Singles in
the ' National Championship' at Jameshedpur,
BIHAR. National Ranking No:s 2 in Men's
singles.
- 1980 : National Ranking No:2 in Men's Singles.
Represented INDIA in 'ALL England Badminton
Championship' at LONDON.
Represented INDIA in '2nd World Badminton
Championship' at Jakarta, INDONESIA.

contd...

Represented INDIA in 'International Tournament' at Melbourne, AUSTRALIA.

Men's Singles Champion in 'Auckland International Tournament' at Auckland, NEW-ZEALAND.

INDIAN RAILWAYS Men's Singles and Doubles Champion in the Inter Railways Championship.

Represented India in Exhibition Matches in KUWAIT and BARBAIN.

Participated in the Tests Matches between INDIA and ENGLAND.

1981

: WINNER in Men's Singles in the National Championship at Vijayawada, ANDHRA PRADESH.

Participated in the Test Matches between INDIA & ENGLAND held in ENGLAND.

Represented INDIA in DANISH International TOURNAMENT at COPENHAGEN, DENMARK.

Represented INDIA in GERMAN Open International Tournament in GERMANY. RUNNER'S-UP in Men's Singles.

Represented INDIA in Swedish International Tournament in SWEDEN, MALMO.

Represented INDIA in Triangular Challenge Tournament INDIA-ENGLAND & SWEDEN.

Represented INDIA in ALL ENGLAND Badminton Championship at LONDON.

1981

: WINNER of Men's Singles-Nationals at COCHIN.
WINNER of Mini-Common Wealth Games, Brisbane.

1982

: WINNER of Men's Singles Common Wealth Games at Brisbane, Australia.

BRONZE MEDALLIST in the Individual & Team Championships at IX ASIAN GAMES, DELHI.

विषय सं०: 22

पृष्ठ सं० : 4951

विषय - वित्तीय वर्ष 1985-86 का मूल बजट

वित्तीय वर्ष 1985-86 का मूल बजट अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय : गोमती नगर आवास योजना में भूमि की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में, आख्या: उपरोक्त योजना में भूमि की दरों के पुनरीक्षण का विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.10.83 में प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त विषय के अन्तर्गत गोमती नगर आवास योजना के एक सेक्टर" विवेक खण्ड का आन्तरिक विकास व्यय तथा बाह्य विकास व्यय का विस्तृत विवरण बनाया गया है, जो संलग्न है किया गया था। इस सेक्टर के विकास व्यय के विस्तृत विवरण के आधार पर संपूर्ण योजना का आन्तरिक विकास व्यय लिया गया था। इसके अतिरिक्त बाह्य विकास व्यय का भी विस्तृत विवरण बनाया गया था। चूंकि उपरोक्त योजना में स्पेशिफिकेशन्स अच्छे रखे गये थे, अतः विकास व्यय रु02.47लाख आता है था। इसमें 10% मूल्य वृद्धि हेतु प्राविधान किया गया था और इस प्रकार विकास व्यय प्रति एकड़ रु02.72लाख आका गया था।

2. उपरोक्त विकास व्यय के सम्बन्ध में विचार विमर्श करके प्राधिकरण ने उपरोक्त बैठक में निर्णय लिया कि विकास व्यय की मदवार जॉच इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी, कानपुर से करा ली जायें क्योंकि जो विकास व्यय लिया गया है, वह कुछ अधिक प्रतीत होता है।

3. उपरोक्त निर्णय के अनुसार विषय उपरोक्त इन्स्टीट्यूट को संदर्भित कर दिया गया है इस बीच प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 24.1.84 में तदर्थ रूप से रु015/- प्रति वर्ग फुट उच्च आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के भवनों से सम्बन्धित भूमि का मूल्य निर्धारित किया तथा आदेश दिया कि तीन माह के अन्दर समस्त आगणन आई0आई0 टी0 कानपुर से विधिवत् करा लिये जायें।

4. प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के परिपालन में विभाग के सम्बन्धित अभियन्ता आई0आई0टी0 कानपुर आगणन की जॉच हेतु गये। प्रोफेसर दयारत्नम् ने आगणनों की जॉच की। जॉच के उपरान्त उन्होंने अपने पत्र सं0सी0ई0/४४०ओ0४४/1564 दि01.6.84 द्वारा सूचित किया कि दिये गये स्पेशिफिकेशन्स के आधार पर जो आगणन बनाये गये हैं, वे उचित हैं। उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ४ अनुलग्नक४४४।

5. अतः योजना की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संक्षिप्त आख्या पुनः निम्नवत् अंकित है :

४।४ योजना का क्षेत्रफल

गोमती नगर योजना के प्रथम चरण का अनुमानित क्षेत्रफल 1691 एकड़ है। जिसमें से 91 एकड़ आबादी का क्षेत्रफल अनुमानित है। इस प्रकार 1600 एकड़ क्षेत्रफल में से लगभग 250 एकड़ भूमि टाउन सेन्टर हेतु प्रथम चरण में उपलब्ध होगी जिसमें से 100 एकड़ भूमि व्यवसायिक रखी गई है तथा 150 एकड़

भूमि एकमशत भूमि की बिक्री हेतु कार्यालय आदि के लिए आरक्षित की गई है। शेष 1350 एकड़ क्षेत्रफल भूमिों/प्लॉटों तथा सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रयोग किये जाने का प्राविधान है। बिक्री योग्य क्षेत्रफल 55% अनुमोदित है।

§ 11 § भूमि का प्रतिकर

गोमती नगर आवास योजना में कुछ भूमि नगर महामालिका से ली गई है तथा कुछ भूमि काश्तकारों से ली गई है। परन्तु अभी तक विशेष भूमि-अध्यापित अधिकारी द्वारा कोई भी एवार्ड घोषित नहीं किया गया है कुछ मुकदमों सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। भूमि की दर $\frac{50}{100}$ प्रति वर्ग फुट अनुमानित की गई है। भूमि की लागत में सौजन्य, प्रशासनिक व्यय तथा 6% की दर से ब्याज के भुगतान हेतु भी प्राविधान किया गया है। यहाँ पर यह उल्लेख करना है कि 6% की दर से ब्याज भुगतानी को देना पड़ता है। यह ब्याज भूमि का कब्जा लिखे जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक देय होता है। इन्को से 15% दर पर विकास हेतु ऋण प्राप्त होता है। अतः इसी दर से ब्याज का प्राविधान किया गया है। ब्याज एक वर्ष के लिए लगाया गया है। चूंकि कुछ मुकदमों सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, अतः 25% की दर से अतिरिक्त प्रतिकर हेतु प्राविधान किया गया है, जिससे कि आकस्मिक स्थिति में उच्च दर से भुगतान किया जा सके।

§ 21 § विकास व्यय

जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि गोमती नगर आवास योजना के एक सेक्टर विवेक एण्ड के आन्तरिक विकास व्यय का विस्तृत विवरण बनाया गया था। इस विस्तृत विवरण के आधार पर संपूर्ण योजना का विकास व्यय लिया गया है। इसी के आधार पर बाह्य विकास की भी योजना बनाई जा चुकी है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, इस विकास व्यय की जांच आई०आई०टी०कानपुर से करा ली गई है।

§ 11/ § विकसित भूमि की लागत

उपरोक्तानुसार विकसित भूमि की लागत निकाली गई है जिसका विवरण संलग्न है स्टेटमेण्ट-1। इस विवरण में दिये हुए विवरण के अनुसार विकसित भूमि का मूल्य ₹0200/- प्रति वर्ग मी० आता है।

§ 1/ § भूमि की प्रस्तावित दरें

उपरोक्त क्रम सं० 11/ में उल्लिखित दर आधार दर हैं। दरें डिफरेंशियल

सिस्टम के आधार पर निकाली गई है, जिसका विवरण निम्न है

§स्टेटमेंट-1। प्रस्तावित दरें निम्नवत् हैं:

विवरण प्रस्तावित दरें प्रति वर्ग मीटर

1. सरईट्स एवं सर्वेसिंह
अरबन हाऊसिंग ए एण्ड बी रु0125/-
2. मध्यम आय वर्ग/उच्च आय वर्ग रु0200/-
3. सार्वजनिक सुविधाओं हेतु

क) विद्यालयों हेतु/पुलिस स्टेशन/
सरकारी इस्थान्तारो रु0100/-

ख) अन्य सुविधाओं हेतु रु0200/-

4. कार्यालय हेतु रु0350/-

5. व्यवसायिक रु0500/-
चूंकि कार्यालय हेतु आरक्षित भूमि पैजाबाद रोड में लगी हुई है तथा रिंग

रौड के कारण स्थिति काफी अच्छी है, अतः रु0350/- प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित की गई है। व्यवसायिक भूमि की उपरोक्त दर रु0500/- प्रति वर्ग मीटर न्यूनतम आरक्षित दर होगी। अन्य योजनाओं की भाँति ही किनारे के भूखण्ड की दर 5% अतिरिक्त होगी।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को भवन उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अतः भूमि की दर रु0125/- प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। पहले यह दर रु0100/- प्रति वर्ग मीटर थी। उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार विद्यालयो हेतु भूमि का दर आधार दर की आधी रखी गई है

6. इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि उ0प्र0 आवास विकास परिषद ने भूमि की दरें विभिन्न योजनाओं में निम्नवत् रखी है :

विवरण	इन्द्रा नगर प्रति वर्ग मीटर रु0	राजाजी परम प्रति वर्ग मीटर रु0	कुर्सी रोड प्रति वर्ग मीटर रु0
आवासीय भवन/ भूखण्ड हेतु	200/-	175/-	190/-
व्यवसायिक	840/-	400/-	अभी निर्धारित नहीं है,
कार्यालयो तथा सार्वजनिक सुविधाओं हेतु	300/-	257.50	285/-
विद्यालयो हेतु	100/-	87.50	95/-

उ0प्र0 आवास विकास परिषद ने आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भवनों/भूखण्डो हेतु भूमि की दर में कोई रियायत नहीं दी है।

प्रस्ताव

प्राधिकरण कृपया उपरोक्त प्रस्तावित दरें अनुमोदित करने का कष्ट करें।

GOMTI NAGAR SCHEME

EWS 0055

STATEMENT - I SHOWING ACQUISITION AND DEVELOPMENT COST.

	<u>Rate per Sft.</u>
<u>A. Acquisition cost</u>	
(i) Compensation	1.00
(ii) Solatium @ 15%	<u>0.15</u>
	1.15
(iii) Compensation for crops/structures @ 1%	<u>0.01</u>
	1.16
(iv) Interest @ 6% (for two years)	<u>0.14</u>
	1.30
(v) Administrative charges @ 10%	<u>0.13</u>
	1.43
(vi) Interest @ 15% (for one year)	<u>0.21</u>
	1.64
(vii) Provision for additional compensation @ 25% of sl.(i) for cases in Tribunal/ High court/Supreme court	<u>0.25</u>
	<u>1.89</u>

Rate per Sfr. (on the basis of
saleable area)

$$= \frac{1.89 \times 100}{55} = 3.44 \text{ per Sft.}$$

B. Development cost

Development cost @ Rs.2.47 lacs
per acre - 10% escalation - 2.72 lacs
per acre

(i) Development cost	6.25
(ii) Administrative charges @ 10%	<u>0.63</u>
	6.88
(iii) Interest @ 15% (for six months)	<u>0.52</u>
	<u>7.40</u>

$$\frac{7.40 \times 100}{55} = 13.46 \text{ per Sft.}$$

C. Cost of developed land

(i) Acquisition cost	3.44
(ii) Development Cost	<u>13.46</u>
	16.90
(iii) Provision for maintenance and future contingencies @ 10%	<u>1.69</u>
	18.59 per sft.

or 200.10 per
Smt.

Say Rs. 200.00 per
Smt.

STATEMENT - II SHOWING DIFFERENTIAL RATES

Sl. No.	Particulars	Rate per Smt. (Rs.)
1.	Sites & Services & Urban Housing A & B	125/-
2.	M.I.G./ H.I.G.	200/-
3.	Public facilities :	
	(a) School / Police station/ Govt. dispensary	100/-
	(b) Other facilities	200/-
4.	Offices	350/-
5.	Commercial	500/-

अनुसंधान केंद्र

पत्र सं 057

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

II T POST OFFICE
KANPUR 208016U,P, (India)

DR. P. DAYARATNAM
PROFESSOR

CE(PO)/1564
REPORT NO. C & T/CE/(PD)/LDA
(VIVALK)-24-1

Mr. P. N. Misra
Secretary,
Lucknow Development Authority
Lucknow.

dated June 1, 1984

Sub. Estimate of Land Development Cost of Vival Khand,
Gomti Nagar,

Dear Mr. Misra,

Kindly refer to my earlier letter in which I requested the visit of your Engineers or supply of further information or details about the site conditions and specification of roads etc. Four Engineers of LDA have visited XXTH on 12th April and provided me further details. The original checking of the estimate was based on normal specifications and plain land site condition without any problem of water table etc. on discussions with the engineers we find that the actual paved width of some of the roads are more than the value we assumed. Similarly the soling specifications etc. are better than we assumed in our specifications. Looking at the overall land conditions and specifications used, the estimate made by the LDA is reasonable.

With regards.

Yours sincerely,

Sd/-
(P. DAYARATNAM)

Copy to:

Mr. H. D. Asrani, Ex. Engineer,
Lucknow Development Authority
Lucknow.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक

=====

29 मार्च, 1985 का कार्यवृत्त ।

=====

उपस्थित:

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1- | श्री राम कृष्ण | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ । |
| 2- | श्री बाबू राम | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, |
| 3- | श्रीमती मञ्जुलिका गौतम | विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश
शासन, आवास एवं नगर विकास
लखनऊ । |
| 4- | श्री आर०एन०त्रिवेदी | जिलाधिकारी, लखनऊ । |
| 5- | श्री डी०पी०सिंघाल | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ । |
| 6- | डा० वी०एन०खान्ना | सदस्य, विधान परिषद
उत्तर प्रदेश एवं सदस्य, लखनऊ-
विकास प्राधिकरण, |
| 7- | श्रीमती गीता काचर | सदस्या, लखनऊ विकास
प्राधिकरण । |
| 8- | श्री राजबीर सिंह | सचिव, लखनऊ विकास
प्राधिकरण । |

-----:: 0 ::-----

विषय संख्या: ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
23-1-85 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
23-1-85 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित
संशोधनों के साथ की गयी :-

- 1- विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-11-84 के
विषय संख्या: 15 में दिनांक 23-1-85 की बैठक में
दूसरे संशोधन में " सड़क के दोनों ओर के स्थान
पर सड़क के मध्य बिन्दु से दोनों ओर" कर दिया
जाये ।
- 2- दिनांक 23-1-85 की बैठक के अनुपूरक विषय
संख्या- 8 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि
श्री जे०पी०दुबे को प्राधिकरण में रेडवाइज़र बनाये
जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में जो मासिक धानराशि
सेवा-निवृत्त के समय उन्हें प्राप्त वेतन से पेशान
घटा कर शेष धानराशि के आधार पर देय है ।
इस प्रस्ताव में यह निहित था कि यह धान वेतन
न होकर मानदेय है और किसी भी दशा में यह
धानराशि ₹ वेतन-पेशान ₹ की धानराशि से
अधिक नहीं होगी ।

प्रस्ताव के समय पेन्शन का निश्चितीकरण नहीं हुआ था जो अब हो गया है । श्री जे०पी०दुबे की सेवायें प्राधिकरण में रेडवाइज़र के रूप में है, यह मामला पुर्ननिश्चित का बिल्कुल नहीं है ।

3- आगामी बैठक में कार्य-सूची के साथ सचिव का प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 2
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-11-84 एवं 23-1-85 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय :
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-11-84 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नलिखित प्रस्तावों की आख्या निम्नवत् संशोधित करने के निर्देश दिये गये :-

वि०स०: 48-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालन नियमावली 1983 ग्रहण किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, तदनुसार निर्देशों का पालन किया जा रहा है ।

वि०स०:53-

प्रस्ताव के निर्णय के अनुसार किसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं है ।

विशेष प्रस्ताव-

श्री सच०एन०दुबे की सेवाओं के सम्बन्ध में आगामी बैठक में विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी ।

विषय संख्या: 3

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।

निर्णय :

अवलोकन किया गया तथा प्रगति अच्छी बताई गई ।

विषय संख्या: 4

लखनऊ विकास प्राधिकरण के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्देश दिया गया कि प्रस्तावित दर से किराया दिनांक 1-4-85 से लिया जायेगा ।

विषय संख्या: 5

विकास प्राधिकरण के लिये तीन ट्रिपर ट्रक एवं 2 ट्रैक्टरों की आपूर्ति ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 6

श्री अम्मर रिज़वी को अलीगंज योजना में रोड पटरी की भूमि गार्डनलीज़ पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

- विषय संख्या: 7 इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट ऐण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट को लखनऊ में कोचिंग हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में पारित शासनादेश के आधार पर भूमि दे दी जाये ।
- विषय संख्या: 8 कास्टिंग एवं इकोनामिक प्लानिंग विभाग हेतु स्टाफ के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि चतुर्थांश श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 2 रक्खी जाये तथा यदि आवश्यक हो तो शासन की भी अनुमति ले ली जाये ।
- विषय संख्या- 9 विकास प्राधिकरण में अनु-सचिव के पदों पर प्रधान लिपिकों, अनुभाग अधिकारियों एवं वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों को वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्देश दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाये ।
- विषय संख्या: 10 लखनऊ-हरदोई रोड के दाहिने और प्रस्तावित योजना की भूमि को आवासीय उपयोग हेतु परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- विषय संख्या: 11 लिपटी सिनेमा के निकट व्यवसायिक योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना का कार्यान्वयन करने से पहले पुनर्वात योजना बनाई जाये तथा उसे प्राधिकरण की बैठक में रक्खण जाये ।
- विषय संख्या: 12 तुलसी सिनेमा के पास महारानी लक्ष्मी बाई मार्ग पर व्यवसायिक योजना हेतु भूमि का अर्जन ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विषय संख्या: 11 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।
- विषय संख्या: 13 स्टेशन रोड पर आवासीय एवं व्यवसायिक योजना हेतु भूमि का अर्जन ।
- निर्णय : विषय संख्या- 11 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।

- विषय संख्या: 14 सीतापुर रोड योजना पश्चिम भाग-2 हेतु भूमि का अर्जन ।
- निर्णय : विषय संख्या- 11 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।
- विषय संख्या: 15 मोहल्ला सआदतगंज में नूरवाड़ी आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन ।
- निर्णय : विषय संख्या: 11 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।
- विषय संख्या: 16 टिकैतराय तालाब सौन्दर्यीकरण एवं आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विषय संख्या: 11 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।
- विषय संख्या: 17 मोहल्ला घासियारी मण्डी कैन्ट रोड पर आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन ।
- निर्णय : निर्णय लिया गया कि विषय संख्या-11 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।
- विषय संख्या: 18 कानपुर रोड योजना भाग-4 में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- विषय संख्या: 19 अर्जन विभाग हेतु तीन लिपिक पदों एवं चार पैरोकारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : इत तस्वन्धा में शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाये ।
- विषय संख्या: 20 गोमती नगर योजना में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- विषय संख्या: 21 श्री सैय्यद मोदी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को गोमती नगर योजना में रिजायती दर पर भूखण्ड आवन्टन करने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- विषय संख्या: 22 वित्तीय वर्ष 1985-86 का मूल बजट ।
- निर्णय : वित्तीय वर्ष 1985-86 के बजट पर सक्षिप्त रूप से विचार-विमर्श किया गया और निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

- 1- उपरोक्त वित्तीय वर्ष में 8061.13 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया । चूकिं माह फरवरी, 1985 तक

कुल व्यय रु 3073.01 लाखा हुआ है अतएव यह विचार व्यक्त किया गया कि यथासंभव तत्कालीन सम्भावित व्यय के आधार पर उपरोक्त पित्तीय वर्ष का बजट बना कर पुनः प्रस्तुत किया जाये ।

- 2- प्राधिकरण के कार्य में अवरोध न हो अतएव प्रस्तुत बजट के आधार पर अनुपातिक रूप में दो माह का आय-व्यय स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 23

गोमती नगर आवास योजना में भूमि की दरों के सुनरीक्षण के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

§ 1 § उपाध्यक्ष ने बताया कि हरदोई रोड, कानपुर रोड योजना तथा सीतापुर रोड योजना में धावनों-भूखण्डों का पंजीकरण दिनांक 1-4-85 से खोला गया था जिसमें 175.00 § रुपये एक सौ पचहत्तर § प्रति मीटर की दर घोषित की गई थी । विचारोपरान्त उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित दरों की स्वीकृति प्रदान की गई ।

§ 2 § गोमती नगर योजना में भी भूमि की दर उपरोक्तानुसार ही रु 175/00 प्रति वर्ग मीटर की स्वीकृति प्रदान की गई ।

अनुपूरक विषय

अनुपूरक विषय संख्या: 1

दिनांक 9-3-1985 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के माननीय सदस्यों में परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवृत्त को अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त दिनांक 15-3-85 को अवलोकन किया गया । उक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न कर दी जाये ।

ह0/- राजवीर सिंह
§ राजवीर सिंह §
सचिव

ह/- बाबू राम
§ बाबू राम §
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

ह0/- राम कृष्ण
§ राम कृष्ण §
आयुक्त
लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रमाणित

एम/आर xxx

§ राजवीर सिंह §
सचिव 23/3/85

दिनांक 9-3-1985 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के माननीय सदस्यों में परिचालित प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवृत्तः

X=X=X=X=X=X=X=X=X

लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमस्त माननीय सदस्यों को पत्र दिनांक मार्च 9, 1985 द्वारा विस्तृत टिप्पणियों प्रेषित कर निम्नांकित विषयों के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त की गई :-

- 1- विधान सभा मार्ग पर स्थित वर्लिगटन होटल व इसके आस पास के क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये 4.02 एकड़ भूमि अर्जन एवं अर्जित क्षेत्र को आवासीय व व्यावसायिक प्रयोग में लाने की स्वीकृति ।
- 2- गौतम बुध्द मार्ग पर श्री राम अनाथालय की भूमि का कृष्णा विकास प्राधिकरण को प्राप्त होने के उपरान्तः
 - क- उक्त भूमि के महायोजना में वर्तमान भू-उपयोग के परिवर्तन एवं योजना को कार्यान्वयित करने की स्वीकृति, तथा
 - ख- उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यवसायिक काम्पलेक्स का डिजाइन आदि तैयार करने हेतु कार्य प्राधिकरण द्वारा गठित आर्किटेक्ट पैनल के आर्किटेक्ट सर्वश्री आर्किटेक्ट ऐण्ड ऐसोसिएट को दिये जाने की स्वीकृति,
- 3- कुर्सी रोड को चौड़ा करने हेतु लगभग 9.0 एकड़ भूमि का अर्जन, उक्त क्षेत्र में हनुमान जी मन्दिर के सामने पूर्व अर्जित खाली भूमि पर सौन्दर्यीकरण एवं दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृति,
- 4- राधा ग्राम योजना में श्रीमती गीता काचर को आवंटित भूमि पर तथा फैजाबाद रोड पर श्री दिनेश पान्डेय को गैस गोडाउन स्थापित करने के सम्बन्ध में अनुमति ।

उपरोक्त क्रमसंख्या- 4 के सम्बन्ध में मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, श्री एन0एस0जौहरी द्वारा यह मत अर्कित किया गया कि गैस सिलिन्डर को स्टोर करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु उन्हें भरने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।


ह0/-

§ वावू राम §
उपाध्यक्ष
15 मार्च, 1985

अ नु मो दि त

ह0/- राम कृष्ण
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

प्रमाणित


§ राजवीर सिंह §
सचिव
23/3/85